रजिस्ट्री सं० डी०-221 REGISTERED NO. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 2—खण्ड 1क
PART II—SECTION 1A

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शुक्रवार, 21 अगस्त, 1998/30 श्रावण, 1920 (शक) [खंड XXXIV
No. 27] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 1998/SRAVANA 30, 1920 (SAKA) [VOL. XXXIV

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation:

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1998/30 श्रावण, 1920 (शक)

(1) दि एन्टी-हाईजैकिंग (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1994 ; (2) दि सप्रेशन आफ अनलाफुल ऐक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी आफ सिविल एविएशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1994 ; (3) दि इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1995 ; (4) दि कन्जर्वेशन आफ फारेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन आफ स्मगलिंग एक्टिविटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1996 ; (5) दि देहली डेवेलपमेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1996 ; (6) दि इनकम-टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1997 ; (7) दि पोर्ट लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1997 ; (8) दि नेशनल हाईवेज लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1997; (9) दि ललित कला अकादमी (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) ऐक्ट, 1997 ; (10) दि नेशनल कमीशन फार सफाई कर्मचारीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1997 ; ऐक्ट, 1997 ; (11) दि एप्रोप्रिएशन ऐक्ट, 1997 ; (12) दि एप्रोप्रिएशन (नं० 2) ऐक्ट, 1997; (13) दि एप्रोप्रिएशन (वोट आन अकाउन्ट) ऐक्ट, 1997 ; (14) दि नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथारिटी ऐक्ट, 1997 ; (15) दि एप्रोप्रिएशन (रेलवेज) नं० 3 ऐक्ट, 1997 ; (16) दि एप्रोप्रिएशन (नं० 3) ऐक्ट, 1997 ; (17) दि राइस-मिलिंग, इन्डस्ट्री (रेगुलेशन) रिपील ऐक्ट, 1997; (18) दि सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1997 (19) दि वाइस

प्रेजिडेन्ट्स पेंशन ऐक्ट, 1997 ; (20) दि डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेंट) (इनएप्लिकेबिलिटी टू मेजर पोर्ट्स) ऐक्ट, 1997 ; और (21) दि इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1997 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, August 21, 1998/*Sravana* 30, 1920 (*Saka*)

The following translations in Hindi of the (1) The Anti-Hijacking (Amendment) Act, 1994; (2) The Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation (Amendment) Act, 1994 ; (3) The Industrial Development Bank of India (Amendment) Act, 1995 ; (4) The Conservation of Foriegn Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Act, 1996 ; (5) The Delhi Development (Amendment) Act, 1996 ; (6) The Income-tax (Amendment) Act, 1997; (7) The Port Laws (Amendment) Act, 1997 ; (8) The National Highways Laws (Amendment) Act, 1997 ; (9) The Lalit Kala Akademi (Taking Over of Management) Act, 1997; (10) The National Commission for Safai Karamcharis (Amendment) Act, 1997 ; (11) The Appropriation Act, 1997 ; (12) The Appropriation (No. 2) Act, 1997 ; (13) The Appropriation (Vote on Account) Act, 1997 ; (14) The National Environment Appellate Authority Act, 1997 ; (15) The Appropriation (Railways) No. 3 Act, 1997 ; (16) The Appropriation (No. 3) Act, 1997 ; (17) The Rice-Milling Industry (Regulation) Repeal Act, 1997 ; (18) The Seamen's Provident Fund (Amendment) Act, 1997 ; (19) The Vice-President's Pension Act, 1997 ; (20) The Dock Workers (Regulation of Employment) (Inapplicability to Major Ports) Act, 1997 ; and (21) The Indira Gandhi National Open University (Amendment) Act, 1997 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

यान-हरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 39)

[29 जून, 1994]

यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम यान-हरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1994 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नई धारा 5क का अन्तःस्थापन ।

1982 का 65

2. यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अन्वेषण, आदि की शक्तियों का प्रदान किया जाना ।

1974 का 2

"5क. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को, प्रदान कर सकेगी ।

(2) पुलिस के सभी अधिकारियों और सरकार के सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है और उन्हें इस बात के लिए सशक्त किया जाता है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सहायता करें ।" ।

नई धाराओं 6क, 6ख और 6ग का अन्तःस्थापन । अभिहित न्यायालय ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"6क. (1) राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी सेशन न्यायालय को अभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी ।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित न्यायालय, यथासाध्य, दिन प्रतिदिन के आधार पर विचारण करेगा ।

अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध ।

1974 का 2

6ख. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 6क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अभिहित न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होंगे;

(ख) जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है या जिसके द्वारा अपराध के किए जाने का संदेह है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, वहां वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है वहां कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए और जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वहां कुल मिलाकर सात दिन से अनधिक अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकेगा : 1974 का 2

परन्तु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट—

(i) जब ऐसा व्यक्ति उसके पास पूर्वोक्त रीति से भेजा जाता है, या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व किसी समय,

यह विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति का निरुद्ध रखना अनावश्यक है, वहां वह ऐसे व्यक्ति को उस अभिहित न्यायालय को, जिसे अधिकारिता है, भेजने का आदेश करेगा ;

(ग) अभिहित न्यायालय, खण्ड (ख) के अधीन अपने पास भेजे गए व्यक्ति के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो वह मजिस्ट्रेट, जिसे मामले के विचारण की अधिकारिता है, ऐसे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जो उस धारा के अधीन उसके पास भेजा गया है, प्रयोग करता । 1974 का 2

(घ) अभिहित न्यायालय, इस निमित्त प्राधिकृत यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी परिवाद के परिशीलन पर उस अपराध का संज्ञान अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए जाने के बिना कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी जिससे अभियुक्त उसी विचारण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन आरोपित किया जा सकता है, विचारण कर सकेगा । 1974 का 2

अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

6ग. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा ।" । 1974 का 2

नई धारा 7क का अंतस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जमानत के बारे में उपबन्ध ।

"7क. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है तो, जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि— 1974 का 2

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) जहां लोक अभियोजक ऐसे आवेदन का विरोध करता है वहां, न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उससे, जब कि वह जमानत पर है, कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।

1974 का 2

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बन्धन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बन्धन के अतिरिक्त है ।

1974 का 2

(3) इस धारा में की कोई बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत के बारे में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।" ।

नई धारा 10क का अन्तःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 4 और धारा 5 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा ।

"10क. धारा 4 या धारा 5 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में, यदि यह साबित कर दिया जाता है कि, —

(क) अभियुक्त के कब्जे में से कोई आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि इसी प्रकार के आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक ऐसे अपराध के किए जाने में उपयोग में लाए गए थे; या

(ख) ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में कर्मी दल या यात्रियों पर बल के प्रयोग, बल की धमकी या किसी अन्य प्रकार का अभित्रास दिए जाने का साक्ष्य है,

तो अभिहित न्यायालय, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है।"।

सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 40)

[29 जून, 1994]

सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) अधिनियम, 1994 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1982 का 66

2. सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1934 का 22

'(खख) "विमानपत्तन" से वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में यथापरिभाषित कोई विमान-क्षेत्र अभिप्रेत है ;' ।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विमानपत्तन पर अपराध ।

"3क. (1) जो कोई, किसी विमानपत्तन पर विधिविरुद्धतया और साशय किसी युक्ति, पदार्थ या आयुध का उपयोग करते हुए :—

(क) हिंसा का ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित होने या उसकी मृत्यु होने की संभावना है, या

(ख) किसी विमानपत्तन पर किसी वायुयान या सुविधा को नष्ट करता है या उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है या विमानपत्तन की किसी सेवा को भंग करता है,

जिससे उस विमानपत्तन पर सुरक्षा संकटापन्न होती है या संकटापन्न होने की आशंका है वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई, उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को करने का प्रयत्न करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा अपराध किया है और उसे ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड दिया जाएगा ।" ।

नई धाराएं 5क 5ख, 5ग और 5घ का अंत:-स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:-स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अन्वेषण आदि की शक्तियों का प्रदान किया जाना ।

"5क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को प्रदान कर सकेगी । 1974 का 2

(2) पुलिस के सभी अधिकारियों तथा सरकार के सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है और उन्हें इस बात के लिए सशक्त किया जाता है कि वे इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के अधिकारी की सहायता करें ।

अभिहित न्यायालय ।

5ख. (1) राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी सेशन न्यायालय को अभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी अभिहित न्यायालय, यथासाध्य, दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचारण करेगा। 1974 का 2

अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध।

5ग. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी— 1974 का 2

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अभिहित न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होंगे ;

(ख) जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है या जिसके द्वारा अपराध के किए जाने का संदेह है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है और कुल मिलाकर सात दिन से अनधिक अवधि के लिए जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, प्राधिकृत कर सकेगा : 1974 का 2

परन्तु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट यह समझता है कि—

(i) जब ऐसा व्यक्ति उसके पास पूर्वोक्त रूप से भेजा जाता है ; या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व किसी समय,

ऐसे व्यक्ति का निरोध अनावश्यक है वहां वह ऐसे व्यक्ति को अभिहित न्यायालय के पास भेजने का आदेश कर सकेगा ;

(ग) अभिहित न्यायालय, खंड (ख) के अधीन उसके पास भेजे गए व्यक्ति के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो वह मजिस्ट्रेट, जिसे मामले के विचारण की अधिकारिता है, ऐसे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के अधीन किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जो उसके पास उस धारा के अधीन भेजा गया हो, प्रयोग करता ;

1974 का 2

(घ) अभिहित न्यायालय, इस निमित्त प्राधिकृत, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी परिवार के परिशीलन पर उस अपराध का संज्ञान अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध का भी जिससे अभियुक्त उसी विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता, 1974 का 2 1973 के अधीन आरोपित किया जा सकता है, विचारण कर सकेगा ।

किसी अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना ।

1974 का 2 5घ. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाई को लागू होंगे और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा ।" ।

नई धारा 6क का अंत:स्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जमानत के बारे में उपबंध ।

1974 का 2 "6क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है तो जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक कि :—

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने के लिए कोई अवसर न दे दिया गया हो ;

(ख) जहां लोक अभियोजक ऐसे आवेदन का विरोध करता है, और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उससे, जब कि वह जमानत पर है कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बंधन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 1974 का 2 के अधीन जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बंधन के अतिरिक्त है ।

(3) इस धारा में की गई कोई बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की 1974 का 2 धारा 439 के अधीन जमानत की बाबत उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।" ।

नई धारा 9क का अंत:स्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 3, धारा 3क और धारा 4 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा ।

"9क. धारा 3, धारा 3क और धारा 4 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में यदि यह साबित कर दिया जाता है कि :—

(क) अभियुक्त के कब्जे से आयुध, गोला-बारुद या विस्फोटक बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि इसी प्रकार के आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक ऐसे अपराध के किए जाने में प्रयोग में लाए गए थे ; या

(ख) इस बात का साक्ष्य है कि ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा की थी ,

तो अभिहित न्यायालय, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है ।"।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 5)

[25 मार्च, 1995]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1995 है।

(2) यह 12 अक्तूबर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

1964 का 18

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1956 का 1

'(घ) "औद्योगिक वित्त निगम" से कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाया गया और रजिस्ट्रीकृत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड अभिप्रेत है।' ।

धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्राधिकृत पूंजी ।

"4. (1) विकास बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के एक अरब पचास करोड़ पूर्णतः समादत्त साधारण शेयरों और धारा 4(ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक दस रुपए के पचास करोड़ पूर्णतः समादत्त मोचनीय अधिमानी शेयरों में विभाजित होगी ।

(2) विकास बैंक, समय-समय पर, साधारण अधिवेशन में संकल्प द्वारा प्राधिकृत पूंजी को पांच हजार करोड़ रुपए से अनधिक रकम तक बढ़ा सकेगा, जिसमें उतनी संख्या में साधारण शेयर और मोचनीय अधिमानी शेयर होंगे, जितने वह ठीक समझे ।" ।

धारा 4क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 4ग, धारा 4घ और धारा 4ङ का अंत:स्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4ख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

पुरोधृत पूंजी ।

"4ग. (1) विकास बैंक की सात सौ तिरपन करोड़ रुपए की पुरोधृत पूंजी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के ठीक पहले केन्द्रीय सरकार में पूर्णतः विनिहित और उसके द्वारा प्रतिभूत हैं, ऐसे प्रारम्भ पर, प्रत्येक दस रुपए के पचहत्तर करोड़ तीस लाख साधारण शेयरों में विभाजित होगी ।

(2) बोर्ड, समय-समय पर विकास बैंक की पुरोधृत साधारण पूंजी में ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो बोर्ड अवधारित करे, शेयरों के आबंटन द्वारा, वृद्धि कर सकेगा :

परन्तु पुरोधृत साधारण पूंजी में कोई भी वृद्धि, ऐसी रीति से नहीं की जाएगी जिससे कि केन्द्रीय सरकार किसी भी समय विकास बैंक की पुरोधृत साधारण पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से कम धारण करे ।

शेयर पूंजी को घटाना ।

4घ. (1) विकास बैंक, शेयरधारकों के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा किसी भी रीति से अपनी शेयर पूंजी को घटा सकेगा ।

(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शेयर पूंजी निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकेगी—

(क) ऐसी शेयर पूंजी की बाबत जो समादत्त नहीं की गई है, अपने साधारण शेयरों में से किसी पर दायित्व को निर्वापित करके या कम करके ;

(ख) अपने साधारण शेयरों में से किसी पर दायित्व को या तो निर्वापित करके या कम करके या उसके बिना कोई ऐसी समादत्त शेयर पूंजी को रद्द करके जिसकी हानि हो गई है या जो उपलब्ध आस्तियों के बिना है ; या

(ग) अपने साधारण शेयरों में से किसी पर दायित्व को या तो निर्वापित करके या कम करके या उसके बिना किसी ऐसी समादत्त शेयर पूंजी को चुका कर, जो विकास बैंक की आवश्यकताओं से अधिक है ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी साधारण अधिवेशन में, शेयर पूंजी को कम करने का कोई संकल्प, मत देने के लिए हकदार शेयर धारकों द्वारा स्वयं मत देकर या जहां परोक्षी अनुज्ञात है वहां परोक्षी द्वारा, मत देकर पारित किया जाएगा और संकल्प के पक्ष में दिए गए मत उन मतों से, यदि कोई हों, संख्या में तीन गुना से कम नहीं होंगे जो इस प्रकार हकदार और मत दे रहे शेयरधारकों द्वारा संकल्प के विरुद्ध मत दिए गए हों ।

साधारण शेयरों का मोचनीय अधिमानी शेयरों में संपरिवर्तन ।

4ङ. (1) केन्द्रीय सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पचास करोड़ से अनधिक उसके द्वारा धारित उतनी संख्या में साधारण शेयरों को जो वह विनिश्चित करे, मोचनीय अधिमानी शेयरों में संपरिवर्तित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मोचनीय अधिमानी शेयरों—

(क) पर लाभांश की वह दर नियत होगी, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे संपरिवर्तन के समय निर्दिष्ट करे, और

(ख) न तो वे अंतरणीय होंगे और न उन पर कोई मत देने का अधिकार होगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोचनीय अधिमानी शेयर, ऐसे संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर विकास बैंक द्वारा उतनी किस्तों में और ऐसी रीति से मोचनीय होंगे जो बोर्ड अवधारित करे ।".

धारा 5 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) विकास बैंक के मामलों और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड में निहित होगा, जो उन सब शक्तियों का प्रयोग तथा वे सब कार्य और बातें कर सकेगा जिनका विकास बैंक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या जिन्हें विकास बैंक कर सकता है और जो इस अधिनियम द्वारा साधारण अधिवेशन में विकास बैंक द्वारा किए जाने के लिए विवक्षित रूप से निर्देशित या अपेक्षित नहीं की गई हैं।

(2) बोर्ड यह निर्देश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।" ;

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् —

"(1) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक :

परन्तु एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों के रूप में कृत्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा;

(ख) बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक पूर्णकालिक निदेशक ;

(ग) दो निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए केन्द्रीय सरकार के पदधारी होंगे ;

(घ) तीन निदेशक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्देशित किए जाएंगे जिन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, उद्योग, बैंककारी, औद्योगिक सहकारिता विधि, औद्योगिक वित्त, विनिधान, लेखाकर्म, विपणन या किसी ऐसे अन्य विषय का, जिसका विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव केन्द्रीय सरकार की राय में विकास बैंक के लिए उपयोगी हो, विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार से भिन्न उन शेयरधारकों द्वारा जिनके नाम उस अधिवेशन की तारीख से नब्बे दिन पूर्व जिसमें ऐसा निर्वाचन निम्नलिखित आधार पर होता है, विकास बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में प्रविष्ट है, विहित रीति से निर्वाचित उतनी संख्या में निदेशक, अर्थात् :—

(i) जहां ऐसे शेयरधारकों की पुरोधृत साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम कुल पुरोधृत साधारण पूंजी का दस प्रतिशत है या उस से कम है, दो निदेशक ;

(ii) जहां ऐसे शेयरधारकों की पुरोधृत साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम कुल पुरोधृत साधारण पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है किन्तु पच्चीस प्रतिशत से कम है, तीन निदेशक; और

(iii) जहां ऐसे शेयरधारकों की पुरोधृत कुल साधारण शेयर पूंजी, कुल पुरोधृत साधारण पूंजी के पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक है, चार निदेशक :

परन्तु जब तक इस खण्ड के अधीन निर्वाचित निदेशकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता, केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय उतनी संख्या में निदेशक जो चार से अधिक नहीं होंगे, ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, उद्योग, बैंककारी, औद्योगिक सहकारिता, विधि, औद्योगिक वित्त, नियोजन, लेखाकर्म विपणन या किसी ऐसे अन्य विषय का जिसका विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव केन्द्रीय सरकार की राय में विकास बैंक को अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए उपयोगी हो, विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो।" ;

(ख) उपधारा (2) और उपधारा (3) में, "अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक और पूर्णकालिक निरेशक" शब्द रख जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2क) और उपधारा (3क) में "अध्यक्ष या प्रबन्ध-निदेशक" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नाम-निर्देशित प्रत्येक निदेशक, तीन वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और उसके पश्चात् उसके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक, पद धारण करेगा और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा :

परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ; और

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन निर्वाचित प्रत्येक निदेशक, तीन वर्ष के लिए और उसके पश्चात् उसके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक, पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा :

परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहो करेगा ;" ;

(ङ) उपधारा (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4ख) केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारक, उस रीति से जो विहित की जाए, निदेशक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे शेयरधारकों के मतों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प

द्वारा, जो ऐसे शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के योग के आधे से कम धारण न करते हों, उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकेंगे और इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर कोई अन्य निदेशक निर्वाचित कर सकेंगे ।" ;

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) (i) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम चार अधिवेशन होंगे और उक्त अधिवेशन ऐसे स्थानों पर हो सकेंगे, जो विहित किए जाएं ;

(ii) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना लिखित में भारत में तत्समय उपस्थित प्रत्येक निदेशक को और प्रत्येक अन्य निदेशक को भारत में उसके सामान्य पते पर दी जाएगी ।

(5क) इस अध्याय में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के अधिवेशन, ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर होंगे और वह अपने कारबार के संव्यवहार के संबंध में, जिसमें संकल्पों के अंगीकार करने की रीति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।" ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6क का लोप किया जाएगा । धारा 6क का लोप ।

9. मूल अधिनियम की धारा 6क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 6ख और धारा 6ग का अन्तःस्थापन ।

"6ख. कोई भी व्यक्ति धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन निदेशक निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि— निदेशकों की निरर्हताएं ।

(क) उसके बारे में सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वह विकृतचित का है और उक्त निष्कर्ष प्रवर्तन में है ;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ग) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है ;

(घ) वह किसी ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है और उसकी बाबत कम से कम छह मास के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है और उक्त दंडादेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है ; या

(ङ) उसने उसके द्वारा, चाहे अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से, धारित विकास बैंक के शेयरों की बाबत किसी मांग का संदाय नहीं किया है और मांग के संदाय के लिए नियत अंतिम दिन से छह मास व्यतीत हो गए हैं ।

6ग. (1) किसी निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा, यदि वह— निदेशक द्वारा पद रिक्त किया जाना ।

(क) धारा 6ख में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है ;

या

(ख) अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे देता है और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है ; या

(ग) बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों में बोर्ड से अनुपस्थित रहने की मंजूरी प्राप्त किए बिना, अनुपस्थित रहता है ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त खण्ड में निर्दिष्ट निरर्हताएं,—

(क) न्यायनिर्णयन, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिन तक ;

(ख) जहां न्यायनिर्णयन, दंडादेश या दोषसिद्धि, जिसका परिणाम दंडादेश में रहा है या आदेश के विरुद्ध पूर्वोक्त तीस दिन के भीतर कोई अपील या अर्जी प्रस्तुत की गई है वहां उस तारीख से, जिसको ऐसे अपील या अर्जी का निपटारा किया गया है, सात दिन के अवसान तक, या

(ग) जहां पूर्वोक्त सात दिन के भीतर, उक्त न्यायनिर्णयन दंडादेश, दोषसिद्धि या आदेश की बाबत कोई और अपील, या अर्जी प्रस्तुत की गई है और अपील या अर्जी, यदि अनुज्ञात की जाती है और उसका परिणाम निरर्हता के हटाए जाने का होगा, तो तब तक जब तक कि ऐसी और अपील या अर्जी का निपटारा नहीं कर दिया जाता है, प्रभावी नहीं होगी ।" ।

धारा 7 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड एक कार्यकारी समिति का गठन करेगा जो अध्यक्ष, प्रबंध-निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और उतने अन्य निदेशकों से मिलकर बनेगी जितने वह ठीक समझे ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 8 के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे अध्यक्ष को, यदि वह पूर्णकालिक नियुक्त किया जाता है या प्रबन्ध-निदेशक को या पूर्णकालिक निदेशक को या किसी अन्य निदेशक को, जो सरकार का अधिकारी है, कोई फीस संदेय नहीं होगी ।" ।

धारा 9 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) खंड (ग), खंड (गक), खंड (च), खंड (छ) में, "जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में—

(क) खंड (ग) में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा-अर्थात् :—

"(घ) ऐसे निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएं निक्षेपों का प्रतिग्रहण कर सकेगा ।"

धारा 12 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) और उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 4क और अध्याय 4ख का अन्तःस्थापन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतः-स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

'अध्याय 4क

शेयर

शेयरों की निर्बाध अंतरणीयता ।

13क. (1) उपधारा (2) में यथाउपबंधित के सिवाय, विकास बैंक के साधारण शेयर, निर्बाध रूप से अन्तरणीय होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, केन्द्रीय सरकार को विकास बैंक में उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों का अन्तरण करने की हकदार नहीं बनाएगी यदि ऐसे अंतरण का परिणाम यह होता हो कि उसके द्वारा धारित साधारण शेयर घटकर विकास बैंक द्वारा निगमित साधारण पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाएं ।

शेयर धारकों का रजिस्टर ।

13ख. (1) विकास बैंक, अपने प्रधान कार्यालय में एक या अधिक बहियों में शेयर धारकों का एक रजिस्टर रखेगा और जहां तक उपलब्ध हो निम्न-लिखित विशिष्टियां उसमें प्रविष्ट करेगा :—

(i) शेयर धारकों के नाम, पते और व्यवसाय, यदि कोई हो, और प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों का ब्यौरा, जिसमें प्रत्येक शेयर को उसकी द्योतक संख्या देकर अलग-अलग दिखाया गया हो ;

(ii) वह तारीख जिसको प्रत्येक व्यक्ति को शेयर धारक के रूप में प्रविष्ट किया जाता है ;

(iii) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति शेयर धारक नहीं रह जाता है ;

(iv) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि विकास बैंक ऐसे रक्षोपायों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, कम्प्यूटर पत्रावलियों या डिस्केटों में शेयर धारकों का रजिस्टर रखता है तो यह विधि-पूर्ण होगा ।

1872 का 1

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, शेयर धारकों के रजिस्टर की कोई प्रति या उससे उद्धरण, जिसे विकास बैंक के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, सभी विधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगा ।

शेयर धारकों के रजिस्टर में न्यास का प्रविष्ट न किया जाना ।

13ग. धारा 13ख में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यास की सूचना, चाहे अभिव्यक्त हो या विवक्षित या आन्वयिक, शेयर धारक के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की जाएगी और न ही विकास बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य होगी ।

बोर्ड का शेयरों के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का अधिकार ।

13घ. (1) बोर्ड, अन्तरिती के नाम में किन्हीं शेयरों के अन्तरण को रजिस्टर करने से निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर ही इन्कार कर सकेगा और किसी अन्य आधार पर नहीं, अर्थात् :—

(क) शेयरों का अन्तरण, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में है ;

(ख) शेयरों का अन्तरण, बोर्ड की राय में, विकास बैंक के हितों पर या लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ;

(ग) शेयरों का अन्तरण, किसी न्यायालय, अधिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध है ।

(2) बोर्ड, उस तारीख से दो मास के अवसान के पूर्व जिसको विकास बैंक के शेयरों के अन्तरण की लिखत ऐसे अन्तरण के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए उसके पास प्रस्तुत की जाती है, इस बारे में म केवल अवभाविक रूप से अपनी राय कायम करेगा कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं किया जाना चाहिए या करने से इन्कार कर दिया जाना चाहिए, अपितु—

(क) यदि उसने अपनी यह राय कायम कर ली है कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण से इस प्रकार इन्कार नहीं किया जाना चाहिए तो वह ऐसा रजिस्ट्रीकरण करेगा; और

(ख) यदि उसने अपनी यह राय कायम कर ली है कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण से उपधारा (1) में उल्लिखित आधारों में से किसी आधार पर इन्कार कर दिया जाना चाहिए तो वह अन्तरक और अंतरिती को उसकी लिखित सूचना देगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बोर्ड की इन्कारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील केन्द्रीय सरकार को होगी और ऐसी अपील फाइल करने और उसकी सुनवाई की प्रक्रिया, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार होगी ।

शेयरों का भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन प्रतिभूति होना ।

13क. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 में किसी बात के होते हुए भी, विकास बैंक के शेयरों को उक्त अधिनियम की धारा 20 में प्रगणित प्रतिभूतियों में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा । 1882 का 2

अध्याय 4क

अधिवेशन और कार्यवाहियां

वार्षिक साधारण अधिवेशन ।

13ख. (1) विकास बैंक प्रत्येक वर्ष, किन्हीं अन्य अधिवेशनों के अतिरिक्त, अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन के रूप में एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगा और उसके बुलाने की सूचना में उस अधिवेशन को इस रूप में विनिर्दिष्ट करेगा और एक वार्षिक साधारण अधिवेशन और आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन के बीच पन्द्रह मास से अधिक की अवधि का अन्तर नहीं होगा :

परन्तु विकास बैंक उस तारीख से, जिसको वह प्रतिभूति के लिए जनसाधारण को पहली बार शेयर आबंटित करता है, छह मास की अवधि के भीतर पहला वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, उस अवधि को जिसके भीतर कोई वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, तीन मास से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी ।

(2) प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन कामकाज के समय के भीतर ऐसे दिन बुलाया जाएगा जिस दिन लोक अवकाश दिन न हो और उसे या तो प्रधान कार्यालय में या उस नगर या शहर के भीतर किसी अन्य स्थान पर जिसमें प्रधान कार्यालय स्थित है, आयोजित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "लोक अवकाश दिन" से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अर्थान्तर्गत कोई लोक अवकाश दिन अभिप्रेत है :

1881 का 26

परन्तु किसी अधिवेशन के संबंध, में रविवार को ऐसा अवकाश दिन नहीं समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक अवकाश दिन के रूप में घोषित दिन को किसी अधिवेशन के संबंध में तब तक अवकाश दिन नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस घोषणा को ऐसे अधिवेशन के बुलाए जाने की सूचना जारी करने से पूर्व अधिसूचित न कर दिया गया हो ।

मताधिकार के प्रयोग पर निर्बन्धन ।

13छ. विकास बैंक के ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को जो साधारण शेयर धारण कर रहा है, प्रत्येक संकल्प के संबंध में ऐसे शेयरों की बाबत मत देने का अधिकार होगा और किसी मतदान में उसका मताधिकार विकास बैंक की समादत्त साधारण पूंजी में उसके अंश के अनुपात में होगा :

परन्तु इस पर भी केन्द्रीय सरकार से भिन्न कोई शेयर धारक, निर्गमित साधारण पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किन्हीं साधारण शेयरों की बाबत, मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

वार्षिक साधारण अधिवेशन में चर्चा किए जाने के लिए विषय और प्रक्रिया ।

13ज. (1) वार्षिक साधारण अधिवेशन में उपस्थित शेयर धारक, निम्नलिखित के बारे में चर्चा करने और उन्हें अंगीकार करने के हकदार होंगे—

(क) उस तारीख तक जिसको विकास बैंक के लेखे बंद और संतुलित किए जाते हैं, बनाया गया उसका तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा ;

(ख) लेखाओं के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए विकास बैंक के कार्यकरण की रिपोर्ट ;

(ग) तुलनपत्र और लेखाओं की बाबत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ;

(घ) लाभांश की घोषणा और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के लिए प्रस्ताव ।

(2) किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में उपस्थित शेयर धारक, ऐसे अधिवेशनों में लाए जाने वाले किसी अन्य विषय की बाबत भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चर्चा कर सकेंगे ।

(3) निम्नलिखित से संबंधित विषय वे होंगे जो विहित किए जाएं—

(क) वह रीति जिसमें वार्षिक साधारण अधिवेशन या अन्य अधिवेशन इस अधिनियम के अधीन आयोजित किए जाएंगे और वह प्रक्रिया जिसका उसमें अनुसरण किया जाएगा ;

(ख) वह रीति जिससे मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा और संकल्प पारित किए जा सकेंगे ; और

(ग) ऐसे अधिवेशन में कारबार के संचालन की प्रक्रिया और संबंधित विषय ।' ।

धारा 18 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) डूबन्त और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों के अवक्षयण और उन सब बातों के लिए, जिनके लिए उपबंध आवश्यक या समीचीन हो या जिनके लिए उपबंध बैंककारों द्वारा प्रायः किया जाता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट आरक्षित निधि के लिए उपबंध करने के पश्चात् और लाभों का एक भाग ऐसी अन्य आरक्षितियों या निधियों में अन्तरित करने के पश्चात् जो समुचित समझी जाएं, बोर्ड, अपने शुद्ध लाभों में से लाभांश घोषित कर सकेगा ।"।

धारा 23 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 23 में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) विकास बैंक के लेखाओं की संपरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षक के रूप में काय करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित संपरीक्षकों द्वारा की जाएगी जो लेयर धारकों के साधारण अधिवेशन में विकास बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल में से ऐसी अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किए जाएंगे, जो रिजर्व बैंक नियत करे ।" ; 1956 का 1

(ख) उपधारा (5) में, "वार्षिक लेखाओं के बन्द और संतुलित किए जाने की तारीख से चार मास के भीतर देगा" शब्दों के स्थान पर "उस तारीख से जिसको वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाता है एक मास के भीतर देगा" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 32क का अन्तःस्थापन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

निक्षेपों, बंधपत्रों, आदि के संबंध में नामनिर्देशन ।

"32क. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निक्षेप, बंधपत्र या अन्य प्रतिभूतियों की बाबत कोई नामनिर्देशन विहित रीति से किया जाता है तो ऐसे निक्षेपों, बंधपत्रों या प्रतिभूतियों के संबंध में शोध्य रकम, निक्षेपकर्ता या उसके धारक की मृत्यु पर ऐसे निक्षेपों, बंधपत्रों या प्रतिभूतियों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार, हक या हित के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशिती में निहित हो जाएगी और उसे संदेय होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार विकास बैंक द्वारा कोई संदाय, ऐसे निक्षेपों, बंधपत्रों या प्रतिभूतियों के संबंध में विकास बैंक के पक्ष में उसके दायित्वों का सम्पूर्ण उन्मोचन होगा ।" ।

धारा 37 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 37 में:—

(क) उपधारा (2) के—

(i) खंड (क) के अन्त में "और संकल्पों को अंगीकार करने की रीति" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खण्ड (घक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घख) यह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन शेयर धारित और अन्तरित किए जा सकेंगे ;

(घग) शेयर धारकों के अधिकारों से संबंधित विषय;

(घघ) शेयर रजिस्टरों का रखा जाना और उनमें प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां :

(घङ) कम्प्यूटर फलापियों या डिस्केटों में शेयर धारकों का रजिस्टर रखे जाने में अपनाए जाने वाले रक्षोपाय ;

(घच) रजिस्टरों का निरीक्षण और बंद किया जाना तथा उससे संबद्ध सभी अन्य विषय;

(घछ) इस अधिनियम के अधीन निदेशकों के निर्वाचनों का आयोजन और संचालन करना और निदेशकों की अर्हताओं से संबंधित विवादों का अवधारण ।

(घज) वह रीति जिसमें साधारण अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे, उनमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वह रीति जिससे ऐसे अधिवेशनों में मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, संकल्प पारित किए जाएंगे और कार्य संचालन किया जाएगा ;

(घझ) वह रीति जिससे शेयरधारकों या अन्य व्यक्तियों पर सूचनाओं की तामील की जा सकेगी ;

(घञ) वह रीति जिसमें धारा 32क के निबंधनों के अनुसार नामनिर्देशन किए जा सकेंगे;' ;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम या नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम या नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभव हो जाएगा । किन्तु विनियम के या नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।" ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

1995 का अध्यादेश संख्यांक 2

21. (1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1996

(1996 का अधिनियम संख्यांक 15)

[31 जुलाई, 1996]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1996 है ।

1974 के अधिनियम संख्यांक 52 की धारा 9 का संशोधन ।

2. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण, अधिनियम 1974 की धारा 9 की उपधारा (1) में, "31 जुलाई, 1996" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 जुलाई, 1999" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1996)

(1996 का अधिनियम संख्यांक 36)

[21 दिसम्बर, 1996]

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1996 है।

निदेशों का प्रतिस्थापन ।

1957 का 61

2. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) सर्वत्र —

(क) "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "प्रशासक" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, "उप राज्यपाल" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(च) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के तीन प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, जिनमें से दो सत्तारूढ़ दल से होंगे और एक सरकार के विपक्षी दल से होगा :

परन्तु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार की मंत्रि-परिषद् का कोई भी सदस्य प्राधिकरण के लिए निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सत्तारूढ़ दल" और "सरकार का विपक्षी दल" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यताप्राप्त सत्तारूढ़ दल और सरकार का विपक्षी दल अभिप्रेत होगा ।' ।

आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 14)

[25 मार्च, 1997]

आय-कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 4 से धारा 10, 1 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

धारा 54ङक का संशोधन ।

1961 का 43

2. आय-कर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 54ङक में, 1 अक्तूबर, 1996 से,—

(क) उपधारा (1) में, "किसी बंधपत्र, डिबेंचर या धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "बंधपत्रों, डिबेंचरों, किसी पब्लिक कम्पनी के शयरों या धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) "विनिर्विष्ट बंधपत्रों या डिबेंचरों" और "विनिर्दिष्ट बंधपत्र या डिबेंचर" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "विनिर्विष्ट प्रतिभूतियों" और "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 80छ का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में, 1 अप्रैल, 1997 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (i) में, "उपखंड (iiiघ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षरों के पश्चात् "या उपखंड (iiiङ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, उपखंड (iiiघ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiiङ) राष्ट्रीय रूग्णावस्था सहायता निधि; या" ।

धारा 158खग का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 158खग के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) निर्धारण अधिकारी—

(i) 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, ऐसे व्यक्ति पर एक सूचना की उससे यह अपेक्षा करते हुए तामील करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो पन्द्रह दिन से कम न हो ;

(ii) 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, ऐसे व्यक्ति पर एक सूचना की उससे यह अपेक्षा करते हुए तामील करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो पन्द्रह दिन से कम किन्तु पैंतालीस दिन से अधिक न हो,

और जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, विहित प्ररूप में एक विवरणी, जिसे उसी रीति से सत्यापित किया जाएगा जिससे धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन किसी विवरणी को सत्यापित किया जाता है, जिसमें कुल आय, जिसके अन्तर्गत उक्त ब्लाक अवधि के लिए अप्रकटित आय है, दी गई हो, दे:

परन्तु धारा 148 के अधीन कोई सूचना, इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए जारी की जानी अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति, जिसने इस खंड के अधीन विवरणी दी है, कोई पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने का हकदार नहीं होगा;"।

धारा 158 खंड का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 158ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) धारा 158ग के अधीन आदेश,—

(क) उस मास के अन्त से, जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार ऐसे मामलों में निष्पादित किया गया था जिनमें 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व कोई तलाशी प्रारंभ की गई है या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अपेक्षा की गई है, एक वर्ष के भीतर पारित किया जाएगा ;

(ख) उस मास के अन्त से, जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार ऐसे मामलों में निष्पादित किया गया था जिनमें 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् कोई तलाशी प्रारंभ की गई है या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अपेक्षा की गई है, दो वर्ष के भीतर पारित किया जाएगा ।

(2) धारा 158ख में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, ब्लाक निर्धारण को पूरा करने के लिए परिसीमा की अवधि,—

(क) उस मास के अन्त से, जिसमें 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति पर इस अध्याय के अधीन सूचना की तामील की गई थी, एक वर्ष होगी; और

(ख) उस मास के अन्त से, जिसमें 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, ऐसे अन्य व्यक्ति पर इस अध्याय के अधीन सूचना की तामील की गई थी, दो वर्ष होगी ।"।

नई धारा 158खचक का अंत:स्थापन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 158खच के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में ब्याज और शास्ति का उद्ग्रहण ।

"158खचक. (1) जहां धारा 158खग के खंड (क) के अधीन सूचना द्वारा यथा अपेक्षित 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखा-बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की बाबत ब्लाक अवधि के लिए कुल आय की, जिसके अन्तर्गत अप्रकटित आय है, विवरणी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् दी जाती है, या नहीं दी जाती है, वहां निर्धारिती धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय के संबंध में कर पर दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का, सूचना में विनिर्दिष्ट समय के समाप्त होने के ठीक अगले दिन को प्रारंभ होने वाली, और—

(क) जहां विवरणी पूर्वोक्त समय के समाप्त होने के पश्चात् दी जाती है, वहां विवरणी देने की तारीख को समाप्त होने वाली; या

(ख) जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है, वहां धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख को प्रारंभ होने वाली,

अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए संदाय करने का दायी होगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति ऐसी राशि का संदाय शास्ति के रूप में करेगा, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय की बाबत उद्ग्रहणीय कर की रकम से कम नहीं होगी, किन्तु जो इस प्रकार उद्ग्रहणीय कर की रकम के तिगुने से अधिक नहीं होगी :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि,—

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 158खग के खंड (क) के अधीन विवरणी दी है;

(ii) ऐसी विवरणी के आधार पर संदेय कर संदत्त कर दिया गया है या यदि अभिगृहीत आस्तियों में धन सम्मिलित है और निर्धारिती इस प्रकार अभिगृहीत धन को संदेय कर मद्धे समायोजित किए जाने की प्रस्थापना करता है;

(iii) संदत्त कर का साक्ष्य विवरणी के साथ दिया जाता है; और

(iv) आय के उस भाग के, जो विवरणी में वर्णित है, निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की जाती है :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित अप्रकटित आय विवरणी में वर्णित आय से अधिक है और ऐसे मामलों में अवधारित अप्रकटित आय के उस भाग पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी जो विवरणी में वर्णित अप्रकटित आय की रकम से अधिक है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश,—

(क) जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो;

(ख) यथास्थिति, सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक द्वारा वहां, यथास्थिति, उपायुक्त या उपनिदेशक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय जहां शास्ति की रकम बीस हजार रुपए से अधिक है;

(ग) किसी ऐसे मामले में जिसमें उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् जिसमें कार्यवाहियां, जिनके दौरान शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है, पूरी की जाती है या उस मास के अन्त से, जिसमें यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, छह मास के पश्चात्, दोनों में से जो अवधि बाद में समाप्त हो, निर्धारण धारा 246 के अधीन आयुक्त (अपील) के लिए अपील की या धारा 253 के अधीन अपील अधिकरण के लिए अपील की विषय-वस्तु है;

(घ) किसी ऐसे मामले में जिसमें निर्धारण, उस मास के अन्त से, जिसमें पुनरीक्षण का ऐसा आदेश पारित किया जाता है, छह मास के समाप्त होने के पश्चात् धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है;

(ङ) खंड (ग) और खंड (घ) में उल्लिखित मामलों से भिन्न किसी मामले में उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् जिसमें कार्यवाहियां, जिनके दौरान शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, पूरी की जाती है, या उस मास की समाप्ति से, जिसमें शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, छह मास के पश्चात्, दोनों में से जो अवधि बाद में समाप्त हो;

(च) 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पहले धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की बाबत,

नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में,—

(i) निर्धारिती को धारा 129 के परन्तुक के अधीन पुनः सुनवाई किए जाने का अवसर देने में लिए गए समय को;

(ii) उस अवधि को, जिसके दौरान धारा 245ज के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति प्रवृत्त रही थी ; और

(iii) उस अवधि को, जिसके दौरान उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक ली जाती हैं, अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) वह आय-कर प्राधिकारी, जो उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश करता है, जब तक कि वह स्वयं निर्धारण अधिकारी न हो, ऐसे आदेश की एक प्रति तत्काल निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ।" ।

धारा 158ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 158ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"158खछ. ब्लाक अवधि के लिए निर्धारण का आदेश किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो : ब्लाक निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ।

परन्तु ऐसा कोई आदेश,—

(क) 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व धारा 132 के अधीन प्रारम्भ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, यथास्थिति, आयुक्त या निदेशक के;

(ख) 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, यथास्थिति, उपायुक्त या उपनिदेशक के,

पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।" ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 246 की उपधारा (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— धारा 246 का संशोधन ।

"(घक) 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन किया गया निर्धारण का आदेश ;

(घख) धारा 158खचक की उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश;" ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 253 का संशोधन ।

"(ख) 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व धारा 132 के अधीन प्रारम्भ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन पारित आदेश; अथवा" ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 276गगग का अन्त:स्थापन ।

"276गगग. यदि कोई व्यक्ति कुल आय की ऐसी विवरणी, जिसके देने के लिए उससे धारा 158खग के खंड (क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षा की जाती है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा : तलाशी के मामलों में आय की विवरणी देने में असफल रहना ।

परन्तु कोई व्यक्ति, 30 जन, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की बाबत इस धारा के अधीन किसी असफलता के लिए दंडनीय नहीं होगा।" ।

1996 का अध्यादेश संख्यांक 32

11. (1) आय-कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1996 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और व्यावृत्ति ।

1996 का अध्यादेश सं० 92

(2) आय-कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1996 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित आय-कर अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित आय-कर अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

पत्तन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 15)

[25 मार्च, 1997]

भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पत्तन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह 9 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

अध्याय 2

भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के संशोधन

धारा 3 का संशोधन ।

1908 का 15

2. भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् पत्तन अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :—

1974 का 2

'(1) "मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;' ।

धारा 6 का संशोधन ।

3. पत्तन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में—

(i) खंड (आ) में, "संदत्त की जाने वाली दरों" शब्दों के पूर्व "किसी महापत्तन से भिन्न किसी पत्तन पर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (आआ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(आआ) ऐसे पोतघाटों, जेटियों उतराई-स्थानों, घाटों घट्टियों भांडागारों और शेडों के, तब जब वे सरकार के हों प्रयोग को विनियमित करने के लिए ;

(आआक) किसी महापत्तन से भिन्न किसी पत्तन के ऐसे पोतघाटों जेटियों उतराई-स्थानों घाटों, घट्टियों भांडागारों और शेडों का तब जब वे सरकार के हों, प्रयोग करने के लिए संदत्त की जाने वाली दरों को नियत करने के लिए ;";

(iii) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ट) किसी ऐसे पत्तन में, या भागतः उसके भीतर और भागतः उसके बाहर चाहे नियमित रूप से या केवल यदाकदा, किराए पर चलने वाला दोनावा और चाहे किराए पर चलने वाली या बिना किराए के चलने वाली पटेला और स्थोरा नौकाओं यात्री नौकाओं और अन्य नौकाओं के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए तथा किन्हीं ऐसे जलयानों के कार्मिवलों के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए और किन्हीं ऐसें जलयानों द्वारा वहन किए जाने वाले स्थौरा की मात्रा या यात्रियों की अथवा कर्मी दल की संख्या का तथा उन शर्तों का अवधारण करने के लिए जिनके अधीन ऐसे जलयान किराए पर चलने के लिए बाध्य होंगे और इसके अतिरिक्त उन शर्तों के लिए जिनके अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जा सकती है ;

(टट) किसी महापत्तन से भिन्न किसी पत्तन के लिए खंड (ट) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत संदेय फीस या उपबंध करने के लिए ; " ।

धारा 33 का संशोधन ।

4. पत्तन अधिनियम की धारा 33 में,—

(क) उपधारा (1) में "प्रथम अनुसूची में उल्लिखित पत्तनों में से प्रत्येक में" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी महापत्तन भिन्न से पत्तनों में से प्रत्येक में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "यह घोषित करे कि कोई अन्य पत्तन" शब्दों के स्थान पर "यह घोषित करे कि किसी महापत्तन से भिन्न कोई अन्य पत्तन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 34 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

5. पत्तन अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"34. सरकार,—

सरकार द्वारा पत्तन शुल्क में फेरफार ।

(क) महापत्तनों से भिन्न पत्तनों की दशा में, धारा 36 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से ;

(ख) महापत्तनों की दशा में, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 47क के अधीन गठित प्राधिकरण से, 1963 का 38

परामर्श करने के पश्चात् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी जलयान या जलयानों के वर्ग को पत्तन-शुल्कों के संदाय से छूट दे सकेगी और छूट को रद्द कर सकेगी, या पत्तन की प्राप्तियों और प्रभारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शुल्कों को या उनमें से किसी को, ऐसी रीति से जैसी वह समीचीन समझे, कम करके या बढ़ाकर उन दरों में फेरफार कर सकेगी, जिन पर पत्तन में पत्तन-शुल्क नियत किए जाने हैं अथवा पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी जलयान या जलयानों के वर्ग को पत्तन-शुल्कों का संदाय करने के दायित्व से जितनी अवधि के लिए छूट है, उस अवधि का विस्तार कर सकेगी :

परन्तु ऐसी दरें किसी भी दशा में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लिए जाने के लिए प्राधिकृत रकम से अधिक नहीं होंगी ।"।

धारा 35 का संशोधन ।

6. पत्तन अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में, "इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन के भीतर" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन, जो कोई महापत्तन न हो, के भीतर," शब्द रखे जाएंगे ।

7. पत्तन अधिनियम की धारा 46 में, "किसी पत्तन में प्रवेश करने वाले ऐसे जलयान" शब्दों के स्थान पर "किसी पत्तन में, जो कोई महापत्तन न हो, प्रवेश करने वाले ऐसे जलयान" शब्द रख जाएंगे । धारा 46 का संशोधन ।

8. पत्तन अधिनियम की धारा 47 में, "जब कोई जलयान इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में प्रवेश करता है" शब्दों के स्थान पर "जब कोई जलयान इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में, जो कोई महापत्तन न हो, प्रवेश करता है," शब्द रखे जाएंगे । धारा 47 का संशोधन ।

9. पत्तन अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में, स्तम्भ 2, स्तम्भ 3 और स्तम्भ 4 के नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

अध्याय 3

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के संशोधन

1963 का 38

10. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् महापत्तन अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन ।

'(कक) "प्राधिकरण" से धारा 47क के अधीन गठित महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण अभिप्रेत है ;'।

11. महापत्तन अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 29 का संशोधन ।

"(3) उपधारा (1) के खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड में निहित रेटों को नियत करने का अधिकार प्राधिकरण में उस तारीख से ही निहित हो जाएगा, जिसको उसका गठन धारा 47क की उपधारा (1) के अधीन किया जाता है ।"।

12. महापत्तन अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (4) में, "धारा 48 या धारा 49 या धारा 50 के अधीन नियत किए गए मापदण्ड के अनुसार उद्ग्रहणीय" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्राधिकरण द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट" शब्द रख जाएंगे । धारा 42 का संशोधन ।

1840 का 10
1996 का 26

13. महापत्तन अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (3) के खंड (भ) में, "माध्यस्थम अधिनियम, 1940" शब्दों और अंकों के स्थान पर "माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 47 का संशोधन ।

14. महापत्तन अधिनियम के अध्याय 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नए अध्याय 5क का अन्तःस्थापन ।

"अध्याय 5क

महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण

47क. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसे महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण कहा जाएगा । महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण का गठन और निगमन ।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिश्चित करे ।

(4) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगा जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, ऐसे व्यक्तियों में से, जो भारत सरकार के सचिव हैं या जो सचिव रहे हैं या जिन्होंने केन्द्रीय सरकार में कोई समतुल्य पद धारण किया है और जिन्हें पत्तनों के कार्यकरण के प्रबंध में अनुभव और ज्ञान है ;

(ख) एक सदस्य, ऐसे अर्थशास्त्रियों में से, जिन्हें परिवहन या विदेश व्यापार के क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव है,

(ग) एक सदस्य, ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें वित्त के क्षेत्र में, सरकार में या किसी वित्तीय संस्था या औद्योगिक या सेवा सेक्टर में वित्तिधान या लागत विश्लेषण के विशेष संदर्भ में, कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव है ।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, सेवा की शर्तें, आदि ।

47ख. (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या तब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, दोनों में से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकेगा; या

(ख) उसे धारा 47घ के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

(4) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति उसकी मृत्यु, पदत्याग या उसके कृत्यों के निर्वहन में असमर्थता के कारण, या बीमारी या अन्य असमर्थता के कारण होती है तो ऐसी रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य उस व्यक्ति के, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, पदावधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए निरर्हता ।

47ग. कोई व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा यदि उसे धारा 6 के अधीन न्यासी के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित कर दिया जाता है ।

अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना आदि ।

47घ. (1) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य को प्राधिकरण से हटा देगी, यदि वह,—

(क) धारा 47ग के अधीन किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है;

(ख) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है; या

(घ) अध्यक्ष के रूप में या किसी सदस्य के रूप में बने रहना अन्यथा अनुपयुक्त है ।

(2) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके विरुद्ध किसी जांच के लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन हटाए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, संबद्ध अध्यक्ष या सदस्य को अपना स्पष्टीकरण केन्द्रीय सरकार को देने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और जब ऐसा आदेश पारित किया जाता है तो हटाए गए अध्यक्ष या सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जाएगा ।

(4) ऐसा अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, प्राधिकरण के अधीन अध्यक्ष के रूप में या किसी सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

अधिवेशन ।

47क. प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

प्राधिकरण के सभी आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण ।

47ख. प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

रिक्ति, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।

47ग. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी ।

47घ. (1) प्राधिकरण अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।"।

धारा 48 का संशोधन ।

15. महापत्तन अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) में,—

(क) आरंभिक भाग के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन दरों का मापमान जिन पर और उन शर्तों का विवरण जिनके अधीन रहते ए इसके नीचे विनिर्दिष्ट उन सेवाओं में से कोई सेवा किसी पत्तन या

पत्तन के पहुंच मार्गों पर या उनके संबंध में बोर्ड द्वारा या धारा 42 के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी, विरचित करेगा—" ;

(ख) उपखंड (ङ) में से "जलयानों की बाबत उन सेवाओं के सिवाय जिनके लिए फीसें भारतीय पत्तन अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं", शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 49 का संशोधन ।

16. महापत्तन अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) में, आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन दरों का मापमान, जिनका संदाय करने पर और उन शर्तों का विवरण भी विरचित करेगा जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड के या उसके कब्जाधीन या अधिभोगाधीन किसी संपत्ति का या पत्तन या पत्तन के पहुंच मार्गों की परिसीमाओं के भीतर किसी स्थान का उपयोग इसके नीचे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा :—" ।

नई धारा 49क और 49ख का अंत:स्थापन ।

17. महापत्तन अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

पत्तन नयन और कतिपय अन्य सेवाओं के लिए फीस ।

"49क. (1) किसी पत्तन के भीतर जलयानों को पत्तन नयन, उनकी खिंचाई करने, मूरिंग करने, फिर से मूरिंग करने, हुक करने, परिमाप करने तथा जलयानों को प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए फीस ऐसी दरों से प्रभारित की जा सकेगी जो प्राधिकरण नियत करे ।

(2) ऐसी सेवाओं के लिए अब प्रभार्य फीसें तब तक प्रभार्य बनी रहेंगी जब तक वे उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, विशेष मामलों में, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रभार्य संपूर्ण फीस या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगी ।

पत्तन शोध्यों का नियत किया जाना ।

49ख. (1) प्राधिकरण, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयानों पर पत्तन शोध्य नियत करेगा ।

(2) प्रत्येक पत्तन पर पत्तन नयन और कतिपय अन्य सेवाओं के लिए फीस या पत्तन शोध्यों में वृद्धि करने या उन्हें परिवर्तित करने का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उस तारीख से, जिसको उक्त आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, तीस दिन समाप्त नहीं हो जाते ।" ।

धारा 50 का प्रतिस्थापन और नई धारा 50क, 50ख और 50ग का अंत:स्थापन ।

18. महापत्तन अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

मिलीजुली सेवाओं के लिए समेकित दरें ।

"50. प्राधिकरण, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 48 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के किसी संयोजन के लिए या बोर्ड की या उसके कब्जाधीन या अधिभोगाधीन किसी संपत्ति के, जैसी धारा 49 में विनिर्दिष्ट हैं, किसी उपयोग या उपयोग की अनुज्ञा सहित ऐसी सेवा या सेवाओं के किसी संयोजन के लिए दरों का जलयानों को या धारा 49क में

यथाविनिर्दिष्ट, उनकी पत्तन नयन, उनकी खिंचाई करने, मूरिंग करने, फिर से मूरिंग करने हुक करने या परिमाप करने तथा जलयानों को प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसों या धारा 49ख में यथा-विनिर्दिष्ट पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयानों पर नियत किए जाने वाले पत्तन शोध्यों और ऐसे शोध्यों को अवधि के लिए फीस का समकित माप-मान विरचित करेगा ।

स्थिरक भार वाले जलयानों पर पत्तन शोध्य ।

50क. किसी पत्तन में स्थिरक भार वाले प्रवेश करने वाले ऐसे जलयान पर जो यात्रियों को नहीं ले जा रहा है, ऐसी दर से पत्तन शोध्य प्रभारित किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाएगी और जो उस दर के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी जिससे वह अन्यथा प्रभार्य होता।

ऐसे जलयानों पर पत्तन शोध्य जो न तो स्थोरा उतार रहे हैं न लाद रहे हैं ।

50ख. जब कोई जलयान पत्तन में प्रवेश करता है किन्तु कोई स्थोरा या यात्री न तो उतारता है और न चढाता है (ऐसे माल उतारने या पुन: लादने के अपवाद के साथ जो मरम्मत के प्रयोजन के लिए आवश्यक है) तो उस पर ऐसी दर से पत्तन शोध्य प्रभारित किया जाएगा जो प्राधि-करण द्वारा अवधारित की जाएगी और वह इस दर के आधे से अधिक नहीं होगी जिससे वह अन्यथा प्रभार्य होता ।

प्राधिकरण के आदेशों का प्रकाशन ।

50ग. इस अधिनियम के अनुसरण में जारी की गई प्राधिकरण की प्रत्येक अधिसूचना, घोषणा, आदेश और विनिमय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक ऐसे पत्तन के संरक्षक के कार्यालय में और सीमाशुल्क सदन में, यदि कोई है, रखी जाएगी जिससे घोषणा, आदेश या नियम संबंधित हैं और वहां यह किसी फीस का संदाय किए बिना किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समय पर उपलब्ध होगी ।"।

धारा 51 का संशोधन ।

19. महापत्तन अधिनियम की धारा 51 में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, "प्राधिकरण" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 52 का लोप ।

20. महापत्तन अधिनियम की धारा 52 का लोप किया जाएगा ।

धारा 54 का संशोधन ।

21. महापत्तन अधिनियम की धारा 54 में,—

(क) उपधारा (1) में, "किसी बोर्ड को" शब्दों के स्थान पर "किसी प्राधिकरण को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "यदि कोई बोर्ड जिसे उपधारा (1) के अधीन निदेश दिया गया है, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे निदेश का अनुपालन, करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यदि प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है," शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "प्राधिकरण" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 57 का संशोधन ।

22. महापत्तन अधिनियम की धारा 57 में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "प्राधिकरण" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 59 का संशोधन ।

23. महापत्तन अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) में, "बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं मालों की बाबत उद्ग्रहणीय" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 110क का अन्तःस्थापन ।

24. महापत्तन अधिनियम की धारा 110 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

"110क. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का अनुपालन करने में असमर्थ है या उसने पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, अथवा वह जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 111 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल हो गया है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व प्राधिकरण को यह हेतुक दर्शित करने का कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए, युक्तियुक्त अवसर देगी और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) वे सभी शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या पालन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन किया जा सकता है, अतिष्ठितता की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, प्रयोग की जाएंगी और उनका अनुपालन किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठितता की अवधि की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार,—

(क) अतिष्ठितता की अवधि को उतनी अतिरिक्त अवधि लिए, जितनी वह आवश्यक समझे, बढ़ा सकेगी; अथवा

(ख) धारा 47क में उपबन्धित रीति से प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी ।" ।

धारा 111 का संशोधन ।

25. महापत्तन अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना प्राधिकरण और प्रत्येक बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित रूप में दे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने के पूर्व, यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।" ।

धारा 112 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

26. महापत्तन अधिनियम की धारा 112 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

1866 का 45

1988 का 49

"112. प्राधिकरण या किसी बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियोजित प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 166 से धारा 171 (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं), धारा 184, धारा 185 और धारा 409 के प्रयोजनों के लिए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रयोजनों के लिए उक्त संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा।"। इस अधिनियम के प्राधिकार से नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का लोक सेवक होना ।

27. महापत्तन अधिनियम की धारा 121 में "बोर्ड या उसके किसी सदस्य", शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण, बोर्ड या उसके किसी सदस्य" शब्द रखे जाएंगे । धारा 121 का संशोधन ।

28. महापत्तन अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 122 का संशोधन ।

"(खक) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन, भत्ते तथा उनके अन्य निबंधन और शर्तें;"।

29. महापत्तन अधिनियम की धारा 123 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 123क का अंत:स्थापन ।

"123क. प्राधिकरण निम्नलिखित प्रयोजनों में से सभी या किन्हीं के लिए इस अधिनियम से संगत विनियम बना सकेगा, अर्थात् :— विनियम बनाने की प्राधिकरण की शक्ति ।

(क) धारा 47ङ के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों के समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) धारा 47ज की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;"।

30. महापत्तन अधिनियम की धारा 132 में,— धारा 132 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में, "बोर्ड द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा," शब्दों के स्थान पर "बोर्ड या प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

1997 का अध्यादेश संख्यांक 1

31. (1) पत्तन विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1997 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और व्यावृत्ति

1908 का 15
1963 का 38

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 16)

[25 मार्च, 1997]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह 24 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

1956 का 48

2. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम कहा गया है) धारा 2 की उपधारा (1) में, "उसके उन भागों को छोड़कर, जो किसी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

परिभाषाएं ।

'3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकड़ी हुई चीजें हैं ।

भूमि, आदि अर्जित करने की शक्ति ।

3क. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के निर्माण, अनरक्षण, प्रबंध या प्रचालन के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में उस भूमि का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचारपत्रों मे प्रकाशित कराएगा जिनमें से एक जन भाषा में होगा ।

सर्वेक्षण, आदि के लिए प्रवेश करने की शक्ति ।

3ख. धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए,—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच करना;

(ख) तलमापन करना ;

(ग) अवमृदा का खोदा जाना या उसमें बोर करना ;

(घ) सीमाओं और संकर्म का आशयित रेखांकन करना ;

(ङ) ऐसे तलमापनों, सीमाओं और रेखांकनों को चिह्नांकन लगाकर और खाइयां खोद कर चिह्नित करना; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बातें करना जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं,

विधिपूर्ण होगा ।

आक्षेपों की सुनवाई ।

3ग. (1) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उस उपधारा में उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग पर आक्षेप कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा और उसमें उस आक्षेप के आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, उन आक्षेपों को, आदेश द्वारा, या तो मंजूर करेगा या नामंजूर करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में है । 1961 का 25

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

अर्जन की घोषणा ।

3घ. (1) जहां धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां सक्षम प्राधिकारी ने उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आक्षेप को नामंजूर कर दिया है वहां सक्षम प्राधिकारी तदनुसार केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट, यथाशक्य शीघ्र, प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा करेगी कि भूमि धारा 3क की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

(3) जहां किसी भूमि की बाबत अधिसूचना उसके अर्जन के लिए धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई है किन्तु उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं की गई है वहां उक्त अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं होगा :

परंतु उक्त एक वर्ष की अवधि की संगणना करने में, ऐसी अवधि या अवधियों को, जिनके दौरान धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी जाती है, अपवर्जित किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन की गई किसी घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

कब्जा लेने की शक्ति ।

3ङ. (1) जहां कोई भूमि धारा 3घ की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी भूमि की बाबत धारा 3छ के अधीन अवधारित रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3ज की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर दी गई है वहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा स्वामी तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका ऐसी भूमि पर कब्जा हो, यह निदेश दे सकेगा कि वह उस भूमि का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सूचना की तामील से साठ दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी—

(क) महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि की दशा में, पुलिस आयुक्त को ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि की दशा में, जिले के कलक्टर को,

आवेदन करेगा और, यथास्थिति, ऐसा आयुक्त या कलक्टर सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को भूमि का अभ्यर्पण प्रवर्तित कराएगा ।

उस भूमि में प्रवेश करने का अधिकार जहां भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

3च. जहां भूमि धारा 3घ के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध या प्रचालन के लिए या उससे संबंधित कोई अन्य कार्य करने के लिए भूमि में प्रवेश करे और अन्य आवश्यक कार्य करे ।

प्रतिकर के रूप में संदेय रकम का अवधारण ।

3छ. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भूमि अर्जित की जाती है वहां ऐसी रकम संदत्त की जाएगी, जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि पर उपयोग का अधिकार या सुखाचार की प्रकृति का कोई अधिकार अर्जित किया जाता है वहां उस भूमि के स्वामी को और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसका उस भूमि में उपभोग का अधिकार ऐसे अर्जन के कारण किसी भी रूप में प्रभावित हुआ है, उतनी रकम संदत्त की जाएगी जो उस भूमि के लिए उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम के दस प्रतिशत पर संगणित रकम होगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रकम का अवधारण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अर्जित की जाने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से दावा आमंत्रित करते हुए दो स्थानीय समाचारपत्रों में, जिनमें से एक जन भाषा में होगा, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराएगा ।

(4) ऐसी सूचना में भूमि की विशिष्टियों का विवरण होगा और उस भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से वैयक्तिक रूप से या अभिकर्ता द्वारा अथवा धारा 3ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विधि व्यवसायी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर उपसंजात होने की और ऐसी भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति का विवरण देने की अपेक्षा की जाएगी ।

(5) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं है, तो रकम किसी पक्षकार के आवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थ द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक माध्यस्थम् को लागू होंगे । 1996 का 26

(7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन रकम का अवधारण करते समय, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा—

(क) धारा 3क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य ;

(ख) भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी भूमि को अन्य भूमि से पृथक् करने के कारण हुआ नुकसान, यदि कोई है ;

(ग) भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को उसकी अन्य स्थावर संपत्ति को किसी रीति से या उसके उपार्जनों पर हानिकारक रूप से प्रभाव डालने वाले अर्जन के कारण हुआ नुकसान, यदि कोई है ;

(घ) यदि भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपने निवास या कारबार के स्थान का परिवर्तन करने के लिए विवश है तो ऐसे परिवर्तन से आनुषंगिक उचित व्यय, यदि कोई है ।

रकम का जमा और संदाय किया जाना ।

3ज. (1) धारा 3छ के अधीन अवधारित रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि का कब्जा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी रीति से जमा कराई जाएगी जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रकम के जमा कर दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सक्षम प्राधिकारी रकम केन्द्रीय सरकार की ओर से उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन जमा की गई रकम में कई व्यक्ति हितबद्ध होने का दावा करते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों को अवधारित करेगा जो, उसकी राय में, उनमें से प्रत्येक को संदेय रकम प्राप्त करने के हकदार हैं ।

(4) यदि रकम या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसको उक्त रकम या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है, विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा ।

(5) जहां मध्यस्थ द्वारा धारा 3छ के अधीन अवधारित रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम से अधिक है, वहां मध्यस्थ ऐसी अतिरिक्त रकम पर धारा 3ब के अधीन कब्जा लेने की तारीख से उस रकम के वस्तुतः जमा किए जाने की तारीख तक की प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

(6) जहां मध्यस्थ द्वारा अवधारित रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम से अधिक है वहां उपधारा (5) के अधीन अधिनिर्णीत ब्याज सहित, यदि कोई है, अतिरिक्त रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से, जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाए, सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी और ऐसे जमा का उपधारा (2) से उपधारा (4) के उपबंध लागू होंगे ।

सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां होंगी ।

3झ. सक्षम प्राधिकारी को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

1894 के भूमि अर्जन अधिनियम 1 का लागू न होना ।

3ञ. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अर्जन को लागू नहीं होगी ।' ।

धारा 8 का लोप ।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8 का लोप किया जाएगा ।

धारा 9 का संशोधन ।

5. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) वह रीति जिससे धारा 3ज की उपधारा (1) और उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास रकम जमा की जाएगी;" ।

अध्याय 3

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 का संशोधन

धारा 13 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कहा गया है) धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 1988 का 68

प्राधिकरण के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन ।

"13. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित कोई भूमि, लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि समझी जाएगी और प्राधिकरण के लिए ऐसी भूमि का अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा।" । 1956 का 48

धारा 16 का संशोधन ।

7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में, खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) किसी व्यक्ति को अपने कृत्यों में से किसी कृत्य में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, लगा सकेगा या उसे सौंप सकेगा;" ।

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को अतिरिक्त पूंजी और अनुदान ।

"17. केन्द्रीय सरकार, संसद् की विधि द्वारा इस निमित्त, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्,—

(क) किसी पूंजी का, जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए या उससे संबंधित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह सरकार अवधारित करे, प्रबंध कर सकेगी ;

(ख) प्राधिकरण को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करे, उधार या अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय कर सकेगी जो वह सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।" ।

धारा 34 का संशोधन ।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घघ) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन प्राधिकरण के कृत्य धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन किसी व्यक्ति को सौंपे जाएं।" ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

10. (1) राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1997 का अध्यादेश संख्यांक 9

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1997 का अध्यादेश संख्यांक 9

ललित कला अकादमी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 17)

[25 मार्च, 1997]

ललित कला अकादमी का लोकहित में सीमित अवधि के लिए प्रबंध-ग्रहण करने का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

ललित कला अकादमी का गठन भारत सरकार द्वारा तारीख 5 अगस्त, 1954 को पारित संसदीय संकल्प द्वारा रंगचित्रकलाओं, लेखाचित्रकलाओं, मूर्तिकलाओं, आदि जैसे दृश्य कलाओं को प्रोत्साहित करने और उनका उन्नयन करने के लिए दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्षस्थ सांस्कृतिक निकाय के रूप में किया गया था ;

1860 का 21 और ललित कला अकादमी को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन तारीख 11 मार्च, 1957 को सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था ;

और अकादमी को अपने क्रियाकलाप के क्षेत्र में पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता है, यद्यपि भारत सरकार संगठन के लिए एकमात्र निधि उपलब्ध कराने वाला अभिकरण है ;

और ललित कला अकादमी द्वारा निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कई हलकों से जिनके अंतर्गत संसद् के माननीय सदस्य भी हैं, प्राप्त शिकायतों के अनुसरण में एक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा तारीख 24 मार्च, 1988 के संकल्प द्वारा श्री पी० एन० हकसर की अध्यक्षता में ललित कला अकादमी सहित राष्ट्रीय अकादमियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए किया गया था और उक्त समिति ने उक्त अकादमी के प्रबंध में कार्यकलाप की विस्तृत जांच के पश्चात् उसकी महापरिषद्, कार्यकारिणी बोर्ड और कलाकार निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की पुनर्संरचना करने की सिफारिश की ;

और उन गंभीर कठिनाइयों को देखते हुए जो ललित कला अकादमी के प्रबंध के संबंध में उत्पन्न हुई हैं, उसके प्रबंध का सीमित अवधि के लिए ग्रहण करना आवश्यक है और यह अनुभव किया गया है कि ललित कला अकादमी का प्रबन्ध-ग्रहण करने में कोई विलंब अकादमी के हितों और उद्देश्यों के लिए अत्यन्त हानिकर होगा ;

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ललित कला अकादमी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह 24 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं । 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से धारा 4 के अधीन प्रशासक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ग) "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अभिप्रेत है ; 1860 का 21

(घ) "सोसाइटी" से ललित कला अकादमी अभिप्रेत है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है ;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

ललित कला अकादमी का प्रबंध-ग्रहण

सोसाइटी का प्रबंध । 3. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही, और उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिए, सोसाइटी का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सोसाइटी का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन है कि ऐसा प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात निहित बना रहे तो वह ऐसे प्रबन्ध के बने रहने के लिए ऐसी अवधि के लिए, जो एक समय में एक वर्ष से अधिक न हो, जो वह ठीक समझे, समय-समय पर निदेश जारी कर सकेगी, किन्तु ऐसी कुल अवधि, जिसके लिए ऐसा प्रबंध केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा, किसी भी दशा में, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) सोसाइटी के प्रबन्ध की बाबत यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत सभी आस्तियों, अधिकारों, पट्टाधृतियों, शक्तियों, प्राधिकारों तथा विशेषाधिकारों और सभी जंगम और स्थावर संपत्ति, जिनके अन्तर्गत भूमि, भवन, कलाकृतियां, कर्मशालाएं, परियोजनाएं, भंडार, उपकरण, पुस्तकालय, मशीनरी, आटोमोबाइल और अन्य यान हैं, रोकड़बाकी, आरक्षित निधियों, विनिधानों तथा बही ऋणों और ऐसी संपत्ति से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सोसाइटी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थी, उद्भूत सभी अन्य अधिकारों और हितों तथा ऐसी सभी लेखाबहियों, रजिस्टरों, नक्शों, रेखाओं और उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी अन्य दस्तावेजों का प्रबंध है ।

(3) कोई संविदा, चाहे वह अभिव्यक्त है या विवक्षित, या अन्य ठहराव, जहां तक उसका संबंध सोसाइटी के प्रबंध और सोसाइटी के कार्यकलाप से है और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, ऐसे प्रारम्भ को समाप्त हो गया समझा जाएगा ।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, सोसाइटी के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्तियों, जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या अवैतनिक सचिव के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति भी हैं और सोसाइटी की महापरिषद्, कार्यकारिणी बोर्ड, वित्त समिति और सभी अन्य समितियों के सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने पद उस रूप में ऐसे प्रारंभ को रिक्त कर दिए हैं ।

सोसाइटी का प्रशासक ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही, सोसाइटी के प्रशासक के रूप में उसका प्रशासन ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और प्रशासक सोसाइटी का प्रबंध केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से करेगा ।

(2) प्रशासक के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, सोसाइटी की वित्त समिति के कृत्यों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति उस सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश (जिनके अन्तर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के आरम्भ, प्रतिरक्षा किए जाने या जारी रखे जाने संबंधी निदेश भी है) जारी कर सकेगी जो वह सरकार वांछनीय समझे और प्रशासक किसी भी समय ऐसी रीति के बारे में, जिससे वह सोसाइटी का प्रबन्ध करेगा, या ऐसे प्रबंध के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में अनुदेशों के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा ।

(4) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रशासक, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के प्रबंध के संबंध में, यथास्थिति, महापरिषद् या कार्यकारिणी बोर्ड की शक्तियों का, जिनके अन्तर्गत ऐसी सोसाइटी की किसी संपत्ति या आस्तियों का निस्तारण करने की शक्तियां भी हैं, चाहे ऐसी शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या सोसाइटी के ज्ञापन तथा नियमों और विनियमों से या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न होती हों, प्रयोग करने का हकदार होगा ।

(5) सोसाइटी के भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति को तत्काल प्रशासक को परिदत्त करेगा ।

(6) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ को उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में सोसाइटी के प्रबन्ध से संबंधित कोई पुस्तक, कागज-पत्र, कलाकृतियां या अन्य दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सोसाइटी के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों के संकल्पों से युक्त कार्यवृत्त पुस्तकें भी हैं, सोसाइटी के प्रबन्ध से संबंधित चालू चैक बुक, कोई पत्र, ज्ञापन, टिप्पण या उसके और सोसाइटी के बीच अन्य पत्र-व्यवहार हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, पुस्तकों, कागजपत्रों, कलाकृतियों और अन्य दस्तावेजों (जिनके अन्तर्गत ऐसी कार्यवृत्त पुस्तकें, चैक बुक, पत्र, ज्ञापन, टिप्पण या अन्य पत्र-व्यवहार हैं) के लिए प्रशासक को लेखा-जोखा देने का दायी होगा ।

(7) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सोसाइटी के प्रशासन का भारसाधक कोई व्यक्ति उस दिन से दस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व सोसाइटी के भागरूप सभी सम्पतियों और आस्तियों की (जिनके अन्तर्गत बही ऋणों और विनिधानों तथा सामानों की विशिष्टियां भी हैं) और ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान उसके प्रशासन के संबंध में सोसाइटी के सभी दायित्वों और बाध्यताओं की तथा उसके प्रशासन के संबंध में और ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सोसाइटी द्वारा किए गए सभी करारों की भी एक पूर्ण सूची प्रशासक को देगा ।

(8) प्रशासक सोसाइटी की निधियों में से वह पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे ।

किसी व्यक्ति के समय-पूर्व पर्यवसान के लिए प्रतिकर का अधिकार न होना ।

5. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत प्रबंध की कोई संविदा या अन्य ठहराव धारा 3 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के कारण पर्यवसित हो गया है अथवा जिसका कोई पद धारण करना उस धारा की उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के कारण समाप्त हो गया है, प्रशासन की संविदा या अन्य ठहराव के समयपूर्व पर्यवसान के लिए या अपने पद की हानि के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

सोसाइटी के प्रशासन का त्याग ।

6. (1) यदि, धारा 3 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोसाइटी का प्रबंध उस सरकार में निहित करने के प्रयोजन पूरे हो गए हैं या किसी अन्य कारण से यह आवश्यक नहीं है कि सोसाइटी का प्रबंध उस सरकार में निहित बना रहना चाहिए तो वह, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, सोसाइटी के प्रबंध का, उस तारीख से जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, त्याग कर सकेगी ।

(2) सोसाइटी का प्रशासन, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से ही, सोसाइटी की महापरिषद् में निहित हो जाएगा और ऐसा प्रबंध सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, किन्तु सोसाइटी के प्रबंध के संबंध में ऐसे उपाय, यदि कोई हों, उपधारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशन के पश्चात् किए जा सकते हैं ।

1960 के अधिनियम 21 का लागू होना ।

7. (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में या सोसाइटी के ज्ञापन तथा नियमों और विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सोसाइटी का प्रबंध जब तक केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहता है तब तक,—

(क) सोसाइटी के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वे या वह किसी व्यक्ति को सोसाइटी की महापरिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित या नियुक्त करें या करे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ को या उसके पश्चात् सोसाइटी के सदस्यों के किसी अधिवेशन में या सोसाइटी की महापरिषद् के किसी अधिवेशन में पारित किसी संकल्प को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न किया जाए ;

(ग) सोसाइटी के विघटन के लिए या किसी अन्य सोसाइटी में विलयन के लिए या उसके प्रशासन की बाबत किसी रिसीवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही केन्द्रीय सरकार की सहमति के सिवाय किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसे अन्य अपवादों, निर्बंधनों और परिसीमाओं, यदि कोई हों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सोसाइटी को उसी रीति से लागू होता रहेगा जिससे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उसको लागू था ।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

शास्तियां ।

8. वह व्यक्ति, जो—

(क) सोसाइटी के भागरूप किसी संपत्ति को अपने कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी संपत्ति को प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से सदोष विधारित करेगा, या

(ख) किसी ऐसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा, या

(ग) सोसाइटी के भागरूप किसी संपत्ति का जानबूझकर प्रतिधारण करेगा या परिदान करने में असफल रहेगा या उसे हटाएगा या नष्ट करेगा, या

(घ) किन्हीं ऐसी पुस्तकों, कागजपत्रों, कलाकृतियों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में हों, जानबूझकर विधारित करेगा या उनके लिए प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को लेखाजोखा देने में असफल रहेगा, या

(ङ) धारा 4 की उपधारा (6) में यथाउपबंधित जानकारी या विशिष्टियां किसी उचित कारण के बिना देने में असफल रहेगा,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

9. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए,––

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि का अपवर्जन ।

10. सोसाइटी द्वारा अपने प्रबंध के संबंध में किसी संव्यवहार से उद्भूत किसी विषय की बाबत किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी वाद या आवेदन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विहित परिसीमा की अवधि की संगणना करने में, वह समय, जिसके दौरान यह अधिनियम प्रवृत्त है, अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

11. इस अधिनियम या इसके अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना, किए गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का, इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी ऐसी लिखत में, जिसका इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव है या किसी न्यायालय की किसी डिक्री या उसके किसी आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

12. (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रशासक या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्रशासक या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

असद्भावपूर्वक की गई संविदाएं रद्द या परिवर्तित की जा सकेंगी ।

13. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के भीतर किसी समय सोसाइटी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच की गई कोई संविदा या करार, जहां तक ऐसी संविदा या करार सोसाइटी के प्रबंध से संबंधित है, असद्भावपूर्वक किया गया है या सोसाइटी के हितों के लिए हानिकर है तो वह ऐसी संविदा या करार को रद्द या परिवर्तित करने वाला आदेश (या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे) कर सकेगी और तत्पश्चात् ऐसी संविदा या करार का तद्नुसार प्रभाव होगा :

परन्तु किसी संविदा या करार को ऐसी संविदा या करार के पक्षकारों को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना रद्द या परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश में परिवर्तन कराने या उसे उलटवाने के लिए आवेदन दिल्ली स्थित उच्च न्यायालय को कर सकेगा और तब ऐसा न्यायालय ऐसे आदेश को पुष्ट, उपांतरित या उलट सकेगा ।

नियोजन की संविदा समाप्त करने की शक्ति ।

14. यदि प्रशासक की यह राय है कि सोसाइटी द्वारा अपने प्रबन्ध के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी भी समय की गई नियोजन की कोई संविदा असम्यक् रूप से दुष्कर है, तो वह नियोजन की ऐसी संविदा को कर्मचारी को एक मास की लिखित रूप में सूचना या उसके बदले में एक मास का वेतन या मजदूरी देकर समाप्त कर सकेगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

16. (1) ललित कला अकादमी (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1997 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1997 का अध्यादेश संख्यांक 10

(2) ललित कला अकादमी (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1997 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1997 का अध्यादेश संख्यांक 10

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 18)

[25 मार्च, 1997]

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

धारा 1 का संशोधन ।

1993 का 64

2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1 की उपधारा (4) में, "31 मार्च 1997" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 मार्च, 2002" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व ऐसी हैसियत में पद धारण किए हुए हैं, 31 मार्च, 1997 को अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के पश्चात् नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या 31 मार्च, 2002 तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे ।"।

विनियोग अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 19)

[25 मार्च, 1997]

31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग अधिनियम, 1997 है ।

31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कतिपय अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से 88,99,73,934 रुपए का दिया जाना ।

2. भारत की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां जिनका कुल योग अठासी करोड़, निन्यानवें लाख, तिहत्तर हजार, नौ सौ चौंतीस रुपए होता है, उन सेवाओं की बाबत जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट है, प्रभारों को चुकाने के लिए 31 माच, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई रकम को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, चुकाने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन भारत की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई है ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

1	2		3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		अधिक राशियां		
			अनुदत्त भाग	भारित भाग	योग
			रु०	रु०	रु०
14	डाक सेवाएं . .	राजस्व	33,59,03,379	—	33,59,03,379
		पूंजी	2,07,82,817	—	2,07,82,817
17	रक्षा पेंशन . .	राजस्व	9,94,02,120	—	9,94,02,120
19	रक्षा सेवाएं—नौसेना .	राजस्व	6,30,17,484	—	6,30,17,484
24	विदेश मंत्रालय . .	राजस्व	35,50,79,760	—	35,50,79,760
64	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय . .	राजस्व	1,87,386	—	1,87,386
76	सड़कें . .	पूंजी	—	37,38,000	37,38,000
77	पत्तन, प्रकाश स्तम्भ और पोत परिवहन . .	राजस्व	1,13,87,819	—	3,13,87,819
90	राज्य सभा . .	राजस्व	1,25,759	—	1,25,759
98	दमण और दीव . .	पूंजी	3,49,410	—	3,49,410
	योग .		88,62,35,934	37,38,000	88,99,73,934

विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 20)

[25 मार्च, 1997]

वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1997 है ।

वर्ष 1996-97 के लिए भारत की संचित निधि में से 72,39,92,00,000 रुपए का दिया जाना ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग बहत्तर अरब, उनतालीस करोड़, बानवे लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2		3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रु०	रु०	रु०
3	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व	32,42,00,000	—	32,42,00,000
4	पशुपालन और डेरी विभाग .	राजस्व	7,39,00,000	—	7,39,00,000
5	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग . . .	पूंजी	9,90,00,000	—	9,90,00,000
6	उर्वरक विभाग . .	राजस्व	2,00,000	—	2,00,000
7	नागर विमानन विभाग .	पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
8	पर्यटन विभाग . .	पूंजी	3,00,00,000	-	3,00,00,000
9	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय . .	राजस्व	31,30,00,000	—	31,30,00,000
12	आपूर्ति विभाग . .	राजस्व	3,85,00,000	—	3,85,00,000
13	डाक विभाग . .	राजस्व	4,09,98,00,000	2,00,000	4,10,00,00,000
14	दूर-संचार विभाग . .	राजस्व पूंजी	2,00,000 4,74,00,00,000	— 20,00,000	2,00,000 4,74,20,00,000
15	रक्षा मंत्रालय . .	राजस्व	81,78,00,000	—	81,78,00,000
16	रक्षा पेंशन . .	राजस्व	3,83,00,00,000	—	3,83,00,00,000
17	रक्षा सेवाएं—सेना . .	राजस्व	3,67,10,00,000	12,00,000	3,67,22,00,000
18	रक्षा सेवाएं—नौसेना .	राजस्व	1,36,46,00,000	3,94,00,000	1,40,40,00,000
19	रक्षा सेवाएं—वायुसेना .	राजस्व	3,12,35,00,000	—	3,12,35,00,000
20	रक्षा आर्डनेंस कारखाने .	राजस्व	52,69,00,000	—	52,69,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	पूंजी	—	1,90,00,000	1,90,00,000
22	पर्यावरण और वन मंत्रालय .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
23	विदेश मंत्रालय . .	राजस्व	83,82,00,000	—	83,82,00,000
24	आर्थिक कार्य विभाग .	पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
25	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टांप . . .	पूंजी	—	7,00,000	7,00,000
26	वित्तीय संस्थाओं को संदाय	राजस्व	18,94,00,000	—	18,94,00,000
		पूंजी	6,69,27,00,000	—	6,69,27,00,000
28	राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण	राजस्व	1,48,55,00,000	—	1,48,55,00,000
		पूंजी	—	9,31,60,00,000	9,31,60,00,000
32	पेंशन . . .	राजस्व	2,05,37,00,000	—	2,05,37,00,000
33	संपरीक्षा . . .	राजस्व	48,87,00,000	2,03,00,000	50,90,00,000
		पूंजी	1,50,00,000	—	1,50,00,000
34	राजस्व विभाग . .	राजस्व	11,36,00,000	—	11,36,00,000
35	प्रत्यक्ष कर . .	राजस्व	24,50,00,000	—	24,50,00,000
36	अप्रत्यक्ष कर . .	राजस्व	44,82,00,000	—	44,82,00,000
		पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
37	कला मंत्रालय . .	राजस्व	1,75,69,00,000	—	1,75,69,00,000
39	स्वास्थ्य विभाग . .	राजस्व	31,00,00,000	1,11,00,000	32,11,00,000
		पूंजी	2,00,000	—	2,00,000
40	भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग . .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
41	परिवार कल्याण विभाग .	राजस्व	71,10,00,000	—	71,10,00,000
42	गृह मंत्रालय . .	राजस्व	18,88,00,000	—	18,88,00,000
43	मंत्रिमंडल . . .	राजस्व	2,19,00,000	—	2,19,00,000
44	पुलिस . . .	राजस्व	2,60,93,00,000	19,00,000	2,61,12,00,000
		पूंजी	1,00,000	22,00,000	23,00,000
45	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय .	राजस्व	68,12,00,000	—	68,12,00,000
		पूंजी	35,79,00,000	45,00,000	36,24,00,000
46	संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण . . .	राजस्व	1,13,19,00,000	—	1,13,19,00,000
		पूंजी	15,36,00,000	—	15,36,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
47	शिक्षा विभाग . .	राजस्व	5,00,000	—	5,00,000
48	युवा मामले और खेल विभाग	राजस्व	6,50,00,000	—	6,50,00,000
		पूंजी	—	1,53,00,000	1,53,00,000
49	संस्कृति विभाग . .	राजस्व	3,02,00,000	—	3,02,00,000
50	महिला और बाल-विकास विभाग . . .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
51	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग . . .	राजस्व	—	24,62,00,000	24,62,00,000
52	लोक उद्यम विभाग .	राजस्व	2,26,00,000	—	2,26,00,000
53	भारी उद्योग विभाग .	राजस्व	8,67,68,00,000	—	8,67,68,00,000
		पूंजी	1,01,36,00,000	1,13,00,000	1,02,49,00,000
54	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग .	राजस्व	2,00,000	—	2,00,000
55	सूचना, फिल्म और प्रचार .	राजस्व	11,30,00,000	—	11,30,00,000
56	प्रसारण सेवाएं . .	राजस्व	22,50,00,000	—	22,50,00,000
		पूंजी	11,73,00,000	36,00,000	12,09,00,000
57	श्रम मंत्रालय . .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
58	विधि और न्याय . .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
	भारित—भारत का उच्चतम न्यायालय . .	राजस्व	—	1,28,00,000	1,28,00,000
62	खान मंत्रालय . .	राजस्व	8,73,00,000	—	8,73,00,000
65	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय . .	राजस्व	9,10,00,000	4,00,000	9,14,00,000
		पूंजी	23,00,000	—	23,00,000
66	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय . . .	राजस्व	17,00,000	—	17,00,000
		पूंजी	1,74,40,00,000	—	1,74,40,00,000
67	योजना . . .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
68	सांख्यिकी विभाग . .	राजस्व	6,19,00,000	—	6,19,00,000
70	विद्युत मंत्रालय . .	राजस्व	69,09,00,000	—	69,09,00,000
		पूंजी	2,00,000	—	2,00,00
71	ग्रामीण विकास विभाग .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
72	बंजर भूमि विकास विभाग .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
75	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग . .	राजस्व	30,35,00,000	—	30,35,00,000
77	इस्पात मंत्रालय . .	राजस्व	64,70,00,000	—	64,70,00,000
		पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
78	जल भूतल परिवहन . .	राजस्व	2,22,00,000	—	2,22,00,000
79	सड़कें . . .	राजस्व	61,93,00,000	—	61,93,00,000
		पूंजी	58,56,00,000	—	58,56,00,000
80	पत्तन, प्रकाश स्तंभ और पोत परिवहन .	राजस्व	2,70,00,000	22,00,00,000	24,70,00,000
		पूंजी	2,00,000	—	2,00,000
81	वस्त्र मंत्रालय . .	राजस्व	2,00,000	—	2,00,000
		पूंजी	97,68,00,000	—	97,68,00,000
82	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन .	राजस्व	—	7,00,000	7,00,000
		पूंजी	4,00,000	—	4,00,000
83	लोक निर्माण . .	राजस्व	15,96,00,000	40,00,000	16,36,00,000
		पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
85	जल संसाधन मंत्रालय .	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
		पूंजी	5,00,000	1,00,000	6,00,000
87	परमाणु ऊर्जा . .	राजस्व	53,21,00,000	2,00,000	53,23,00,000
88	न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें .	राजस्व	1,30,05,00,000	—	1,30,05,00,000
		पूंजी	—	1,37,00,000	1,37,00,000
91	अंतरिक्ष विभाग . .	राजस्व	6,74,00,000	—	6,74,00,000
93	राज्य सभा . .	राजस्व	1,44,00,000	1,00,000	1,45,00,000
	भारित—संघ लोक सेवा आयोग	राजस्व	—	58,00,000	58,00,000
96	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	राजस्व	8,00,000	—	8,00,000
97	अंडमान और निकोबार द्वीप .	राजस्व	26,65,00,000	—	26,65,00,000
98	चंडीगढ़ . . .	राजस्व	33,61,00,000	1,02,00,000	34,63,00,000
		पूंजी	1,00,000	50,00,000	51,00,000

1	2				
			रु०	रु०	रु०
99	दादरा और नागर हवेली	पूंजी	2,49,00,000	--	2,49,00,000
100	दमण और दीव	राजस्व	4,94,00,000	--	4,94,00,000
		पूंजी	35,00,000	--	35,00,000
101	लक्षद्वीप	राजस्व	22,00,000	--	22,00,000
		पूंजी	8,00,000	--	8,00,000
	योग :		62,43,13,00,000	9,96,79,00,000	72,39,92,00,000

विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 21)

[25 मार्च, 1997]

वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1997 है ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए भारत की संचित निधि में से 12,09,63,88,00,000 रुपए का निकाला जाना ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग बारह खरब, नौ अरब, तिरसठ करोड़, अठासी लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए जो वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान दिए जाने होंगे, निकाली जा सकेंगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

अनुसूची में मंत्रालयों और विभागों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन ।

4. अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रति निर्देश, 14 फरवरी, 1997 के ठीक पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों के बारे में हैं और उस तारीख को या उसके पश्चात् उनका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे समय-समय पर यथा पुनर्गठित समुचित मंत्रालयों या विभागों के प्रति निर्देश हैं ।

अनुसूची

(धारा 2, धारा 3 और धारा 4 देखिए)

1	2		3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रु०	रु०	रु०
1	कृषि	राजस्व	4,90,80,00,000	1,00,000	4,90,81,00,000
		पूंजी	3,26,00,000	7,21,00,000	10,47,00,000
2	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	राजस्व	46,95,00,000	—	46,95,00,000
		पूंजी	39,18,00,000	10,85,00,000	50,03,00,000
3	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व	99,88,00,000	—	99,88,00,000
4	पशुपालन और डेरी विभाग	राजस्व	43,06,00,000	—	43,06,00,000
		पूंजी	31,00,000	—	31,00,000
5	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	राजस्व	38,32,00,000	4,16,00,000	42,48,00,000
		पूंजी	6,76,00,000	—	6,76,00,000
6	उर्वरक विभाग	राजस्व	18,48,82,00,000	1,00,000	18,48,83,00,000
		पूंजी	1,07,64,00,000	—	1,07,64,00,000
7	नागर विमानन विभाग	राजस्व	43,08,00,000	—	43,08,00,000
		पूंजी	6,86,00,000	—	6,86,00,000
8	पर्यटन विभाग	राजस्व	17,96,00,000	—	17,96,00,000
		पूंजी	3,31,00,000	—	3,31,00,000
9	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	राजस्व	13,05,00,000	—	13,05,00,000
		पूंजी	8,00,000	1,88,00,000	1,96,00,000
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व	28,46,00,000	—	28,46,00,000
		पूंजी	54,14,00,000	—	54,14,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व	1,33,71,00,000	—	1,33,71,00,000
		पूंजी	17,83,00,000	—	17,83,00,000
12	आपूर्ति विभाग	राजस्व	6,28,00,000	12,00,000	6,40,00,000
13	डाक विभाग	राजस्व	5,23,11,00,000	5,00,000	5,23,16,00,000
		पूंजी	12,39,00,000	3,00,000	12,42,00,000

1	2		3	
		रु०	रु०	रु०
14 दूरसंचार विभाग	राजस्व	25,04,82,00,000	1,00,000	25,04,83,00,000
	पूंजी	18,31,50,00,000	1,00,000	18,31,51,00,000
15 रक्षा मंत्रालय	राजस्व	3,97,09,00,000	2,00,000	3,97,11,00,000
	पूंजी	4,13,00,000	43,00,000	4,56,00,000
16 रक्षा पेंशन	राजस्व	6,19,10,00,000	7,00,000	6,19,17,00,000
17 रक्षा सेवाएं—सेना	राजस्व	32,50,69,00,000	1,72,00,000	32,52,41,00,000
18 रक्षा सेवाएं—नौसेना	राजस्व	4,83,09,00,000	40,00,000	4,83,49,00,000
19 रक्षा सेवाएं—वायु सेना	राजस्व	8,29,72,00,000	10,00,000	8,29,82,00,000
20 रक्षा आर्डनेंस कारखाने	राजस्व	6,20,37,00,000	8,00,000	6,20,45,00,000
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	पूंजी	16,73,44,00,000	1,06,00,000	16,74,50,000
22 पर्यावरण और वन मंत्रालय	राजस्व	92,13,00,000	—	92,13,00,000
	पूंजी	1,21,00,000	—	1,21,00,000
23 विदेश मंत्रालय	राजस्व	2,34,23,00,000	1,00,000	2,34,24,00,000
	पूंजी	30,00,00,000	—	30,00,00,000
24 आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	6,96,25,00,000	1,00,000	6,96,26,00,000
	पूंजी	20,89,00,000	—	20,89,00,000
25 करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टांप	राजस्व	1,30,21,00,000	28,00,000	1,30,49,00,000
	पूंजी	94,22,00,000	1,00,000	94,23,00,000
26 वित्तीय संस्थाओं को संदाय	राजस्व	93,41,00,000	—	93,41,00,000
	पूंजी	6,94,43,00,000	—	6,94,43,00,000
27 भारित—ब्याज अदायगियां	राजस्व		— 1,13,33,33,00,000	1,13,33,33,00,000
28 राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण	राजस्व	18,30,51,00,000	47,66,14,00,000	65,96,65,00,000
	पूंजी	1,70,83,00,000	39,37,06,00,000	41,07,89,00,000
29 सरकारी सेवकों, आदि को उधार	पूंजी	49,78,00,000	—	49,78,00,000
30 भारित— ऋण प्रतिसंदाय	पूंजी		— 6,78,71,45,00,000	6,78,71,45,00,000
31 व्यय विभाग	राजस्व	7,86,38,00,000	—	7,86,38,00,000
32 पेंशन	राजस्व	2,57,79,00,000	55,00,000	2,58,34,00,000
33 संपरीक्षा	राजस्व	85,12,00,000	2,92,00,000	88,04,00,000
	पूंजी	58,00,000	-	58,00,000
34 राजस्व विभाग	राजस्व	31,01,00,000	1,00,000	31,02,00,000
	पूंजी	21,00,000	—	21,00,000
35 प्रत्यक्ष कर	राजस्व	84,50,00,000	1,00,000	84,51,00,000
	पूंजी	21,00,00,000	—	21,00,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
36	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	1,32,68,00,000	16,00,000	1,32,84,00,000
		पूंजी	44,20,00,000	—	44,20,00,000
37	कंपनी कार्य विभाग	राजस्व	3,00,00,000	—	3,00,00,000
		पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
38	खाद्य मंत्रालय	राजस्व	12,88,93,00,000	1,00,000	12,88,94,00,000
		पूंजी	18,71,00,000	—	18,71,00,000
39	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	8,12,00,000	—	8,12,00,000
		पूंजी	2,95,00,000	—	2,95,00,000
40	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	2,39,43,00,000	—	2,39,43,00,000
		पूंजी	84,07,00,000	—	84,07,00,000
41	भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग	राजस्व	9,47,00,000	—	9,47,00,000
		पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
42	परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	3,68,00,00,000	—	3,68,00,00,000
		पूंजी	27,00,000	—	27,00,000
43	गृह मंत्रालय	राजस्व	51,96,00,000	2,00,000	51,98,00,000
		पूंजी	3,68,00,000	—	3,68,00,000
44	मंत्रिमंडल	राजस्व	16,26,00,000	—	16,26,00,000
		पूंजी	5,00,00,000	—	5,00,00,000
45	पुलिस	राजस्व	6,68,37,00,000	24,00,000	6,68,61,00,000
		पूंजी	77,68,00,000	,77,00,000	85,45,00,000
46	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	राजस्व	58,46,00,000	1,00,000	58,47,00,000
		पूंजी	30,68,00,000	84,00,000	31,52,00,000
47	संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण	राजस्व	41,80,00,000	—	41,80,00,000
		पूंजी	43,14,00,000	—	43,14,00,000
48	शिक्षा विभाग	राजस्व	8,71,80,00,000	—	8,71,80,00,000
		पूंजी	14,00,000	—	14,00,000
49	युवा मामले और खेल विभाग	राजस्व	26,25,00,000	—	26,25,00,000
		पूंजी	31,00,000		31,,00,000
50	संस्कृति विभाग	राजस्व	36,70,00,000		36,70,00,000
51	महिला और बाल विकास विभाग	राजस्व	1,58,02.00,000	—	1,58,02,00,000
52	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व	1,14,73,00,000	—	1,14,73,00,000
		पूंजी	6,00,000	—	6,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
53	लोक-उद्यम विभाग	राजस्व	85,00,000	—	85,00,000
54	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	3,73,00,000	—	3,73,00,000
		पूंजी	36,52,00,000	—	36,52,00,000
55	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	राजस्व	1,18,46,00,000	—	1,18,46,00,000
		पूंजी	48,46,00,000	—	48,46,00,000
56	सूचना, फिल्म और प्रचार	राजस्व	27,17,00,000	1,00,000	27,18,00,000
		पूंजी	2,99,00,000	—	2,99,00,000
57	प्रसारण सेवाएं	राजस्व	2,66,31,00,000	69,00,000	2,67,00,00,000
		पूंजी	72,37,00,000	14,00,000	72,51,00,000
58	श्रम मंत्रालय	राजस्व	1,23,91,00,000	1,00,000	1,23,92,00,000
		पूंजी	20,00,000	—	20,00,000
59	विधि और न्याय	राजस्व	61,37,00,000	—	61,37,00,000
60	निर्वाचन आयोग	राजस्व	97,00,000	—	97,00,000
61	भारित—भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	—	2,68,00,000	2,68,00,000
62	खान मंत्रालय	राजस्व	40,16,00,000	1,00,000	40,17,00,000
		पूंजी	6,83,00,000	—	6,83,00,000
63	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	राजस्व	37,86,00,000	—	37,86,00,000
		पूंजी	19,12,00,000	—	19,12,00,000
64	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	57,00,000	—	57,00,000
65	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	20,95,00,000	1,00,000	20,96,00,000
		पूंजी	43,00,000	1,00,00,000	1,43,00,000
66	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	64,00,000	—	64,00,000
67	योजना	राजस्व	17,14,00,000	—	17,14,00,000
		पूंजी	7,67,00,000	—	7,67,00,000
68	सांख्यिकी विभाग	राजस्व	24,90,00,000	—	24,90,00,000
		पूंजी	86,00,000	—	86,00,000
69	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	राजस्व	1,31,95,00,000	—	1,31,95,00,000
70	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	88,30,00,000	—	88,30,00,000
		पूंजी	4,52,59,00,000	28,00,000	4,52,87,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
71	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	7,44,36,00,000	—	7,44,36,00,000
72	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	राजस्व	21,01,18,00,000	—	21,01,18,00,000
73	बंजर भूमि विकास विभाग	राजस्व	15,87,00,000	—	15,87,00,000
74	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	85,47,00,000	1,00,000	85,48,00,000
		पूंजी	8,17,00,000	—	8,17,00,000
75	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व	76,33,00,000	—	76,33,00,000
		पूंजी	92,00,000	—	92,00,000
76	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	17,26,00,000	—	17,26,00,000
		पूंजी	88,00,000	—	88,00,000
77	इस्पात मंत्रालय	राजस्व	1,18,00,000	—	1,18,00,000
		पूंजी	4,28,00,000	—	4,28,00,000
78	जल भूतल परिवहन	राजस्व	12,34,00,000	—	12,34,00,000
		पूंजी	3,61,00,000	25,00,000	3,86,00,000
79	सड़कें	राजस्व	1,42,20,00,000	6,00,000	1,42,26,00,000
		पूंजी	3,50,98,00,000	4,93,00,000	3,55,91,00,000
80	पत्तन, प्रकाश-स्तंभ और पोत-परिवहन	राजस्व	38,87,00,000	—	38,87,00,000
		पूंजी	71,92,00,000	33,00,000	72,25,00,000
81	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	73,38,00,000	—	73,38,00,000
		पूंजी	50,96,00,000	1,00,00,000	51,96,00,000
82	शहरी विकास	राजस्व	58,74,00,000	1,64,00,000	60,38,00,000
		पूंजी	66,43,00,000	1,69,00,000	68,12,00,000
83	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	राजस्व	36,57,00,000	—	36,57,00,000
		पूंजी	6,67,00,000	—	6,67,00,000
84	लोक निर्माण	राजस्व	77,42,00,000	10,00,000	77,52,00,000
		पूंजी	35,66,00,000	—	35,66,00,000
85	लेखन सामग्री और मुद्रण	राजस्व	23,90,00,000	—	23,90,00,000
		पूंजी	75,00,000	—	75,00,000
86	जल संसाधन मंत्रालय	राजस्व	74,84,00,000	1,00,000	74,85,00,000
		पूंजी	5,68,00,000	2,17,20,00,000	2,22,88,00,000
87	कल्याण मंत्रालय	राजस्व	2,49,04,00,000	1,66,08,00,000	4,15,12,00,000
		पूंजी	48,90,00,000	—	48,90,00,000
88	परमाणु ऊर्जा	राजस्व	1,27,86,00,000	2,00,000	1,27,88,00,000
		पूंजी	1,08,40,00,000	—	1,08,40,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
89	न्यूक्लीयर विद्युत स्कीमें	राजस्व	1,28,65,00,000	—	1,28,65,00,000
		पूंजी	58,53,00,000	—	58,53,00,000
90	इलैक्ट्रानिकी विभाग	राजस्व	17,49,00,000	—	17,49,00,000
		पूंजी	5,24,00,000	—	5,24,00,000
91	महासागर विकास विभाग	राजस्व	15,34,00,000	—	15,34,00,000
		पूंजी	79,00,000	—	79,00,000
92	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	1,71,04,00,000	4,00,000	1,71,08,00,000
		पूंजी	24,09,00,000	1,00,000	24,10,00,000
	भारित—राष्ट्रपति के कर्मचारि-वृन्द, गृह और भत्ते	राजस्व	—	93,00,000	93,00,000
94	राज्य सभा	राजस्व	3,82,00,000	1,00,000	3,83,00,000
95	लोक सभा	राजस्व	8,87,00,000	3,00,000	8,90,00,000
	भारित—संघ लोक सेवा आयोग	राजस्व	—	4,45,00,000	4,45,00,000
97	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	राजस्व	8,00,000	—	8,00,000
98	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	61,72,00,000	1,00,000	61,73,00,000
		पूंजी	31,18,00,000	—	31,18,00,000
99	चंडीगढ़	राजस्व	64,37,00,000	1,97,00,000	66,34,00,000
		पूंजी	10,71,00,000	17,00,000	10,88,00,000
100	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	19,01,00,000	—	19,01,00,000
		पूंजी	3,92,00,000	—	3,92,00,000
101	दमण और दीव	राजस्व	14,30,00,000	—	14,30,00,000
		पूंजी	2,74,00,000	—	2,74,00,000
102	लक्षद्वीप	राजस्व	21,23,00,000	2,00,000	21,25,00,000
		पूंजी	2,85,00,000	—	2,85,00,000
	योग :		3,26,09,04,00,000	8,83,54,84,00,000	12,09,63,88,00,000

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 22)

[26 मार्च, 1997]

ऐसे क्षेत्रों के निर्बंधन की बाबत, जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कतिपय रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे, अपीलों की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 है।

(2) यह 30 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

1986 का 29

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "उपाध्यक्ष" से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय 2

प्राधिकरण की स्थापना

प्राधिकरण की स्थापना ।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के नाम से एक निकाय की स्थापना करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा ।

प्राधिकरण की संरचना ।

4. प्राधिकरण एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

5. (1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह —

(क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ।

(2) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब,—

(क) वह कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के सचिव का पद अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई अन्य पद धारण कर चुका है जिसका वेतनमान भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम नहीं है ; और

(ख) उसके पास पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के प्रशासनिक, विधिक, प्रबंधकीय या तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता या अनुभव है ।

(3) कोई व्यक्ति, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब उसके पास संरक्षण, पर्यावरणीय प्रबंध, विधि या योजना और विकास से संबंधित क्षेत्रों में तकनीक ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है ।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

कुछ परिस्थितियों में उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना ।

6. (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई किसी रिक्ति की दशा में उपाध्यक्ष उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है ।

(2) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या सदस्यों में से ऐसा कोई एक सदस्य जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

पदावधि ।

7. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक उस हैसियत में, पद धारण करेगा किंतु वह तीन वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु अध्यक्ष उपाध्यक्ष, या सदस्य,—

(क) अध्यक्ष की दशा में, सत्तर वर्ष, और

(ख) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस हैसियत में पद धारण नहीं करेगा ।

पद त्याग और हटाया जाना ।

8. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, जब तक कि उसे राष्ट्रपति द्वारा उससे पहले पदत्याग करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाती है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके पदोत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण कर लेने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतम हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, जिसमें ऐसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दे दी गई है, और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश से ही हटाया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(3) राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को, जिसकी बाबत उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेंगे जब तक कि राष्ट्रपति ने ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित न कर दिया हो।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण करने के लिए प्रक्रिया, नियमों द्वारा विनियमित कर सकेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अन्तर्गत पेंशन उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति फायदे हैं) ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

प्राधिकरण में रिक्ति से कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

10. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसकी स्थापना में कोई त्रुटि है ।

अध्याय 3

प्राधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां

प्राधिकरण को अपील ।

11. (1) कोई व्यक्ति जो उन क्षेत्रों में, जिनमें कोई उद्योग संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं और प्रसंस्करण नहीं चल जाएंगे या कतिपय रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे, पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने वाले किसी आदेश से व्यक्ति है, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा :

परन्तु प्राधिकरण पूर्वोक्त तारीख से उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किन्तु नब्बे दिन के पश्चात् नहीं, अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "व्यक्ति" से अभिप्रेत है,—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए जाने से प्रभावित होने की संभावना है ;

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके स्वामित्व या नियंत्रण में ऐसी परियोजना है, जिसकी बाबत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन पेश किया गया है ;

(ग) व्यक्तियों का कोई ऐसा संगम (चाहे वह निगमित हो या नहीं), जिसके ऐसे आदेश से प्रभावित होने की संभावना है और जो पर्यावरण के क्षेत्र में कृत्य कर रहा है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार, जहां पर्यावरणीय अनापत्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और राज्य सरकार, जहां पर्यावरणीय अनापत्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है; या

(ङ) कोई स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमाओं का कोई भाग, उस क्षेत्र के पड़ोस में है, जिसमें परियोजना को अवस्थित किए जाने की प्रस्थापना है ।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन की गई अपील के प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा, जो यह ठीक समझे :

(4) प्राधिकरण अपील का निपटारा अपील फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर करेगा :

परन्तु प्राधिकरण, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अपील का निपटारा तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर कर सकेगा ।

प्राधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।

12. (1) प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा, किन्तु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा और इस अधिनियम के और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत अपनी जांच का स्थान और समय नियत करना और यह विनिश्चय करना भी है कि बैठक सार्वजनिक रूप से या प्राइवेट रूप से की जाए । 1908 का 5

(2) प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना; 1872 का 1

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) किसी अभ्यावेदन को त्रुटि के कारण खारिज करना या उसका एक पक्षीय रूप से विनिश्चय करना ;

(ज) किसी अभ्यावेदन को खारिज करने के किसी आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को त्रुटि के कारण अपास्त करना; और

(झ) कोई अन्य विषय जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो उसके द्वारा विहित किया जाए ।

अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां ।

13. अध्यक्ष ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो नियमों के अधीन उसमें निहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष को अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे उपाध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि उपाध्यक्ष या ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय, अध्यक्ष के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता रहेगा ।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द ।

14. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का प्रकार और प्रवर्ग अवधारित करेगी जो प्राधिकरण को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित हों और प्राधिकरण के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

अधिकारिता का वर्जन ।

15. प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से, किसी सिविल न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को किसी ऐसे मामले की बाबत जिसके लिए प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त किया गया है, कोई अपील ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना ।

1860 का 45

16. प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना ।

1860 का 45

17. प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

18. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य या ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

19. जो कोई प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

20. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रत्यक्षत: भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

21. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

22. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :—

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण करने के लिए धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन प्रक्रिया ;

(ख) धारा 9 के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ग) वह प्ररूप जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपील की जाएगी ;

(घ) धारा 13 के अधीन अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां ;

(ङ) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें ;

(च) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

23. (1) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1997 का अध्यादेश संख्यांक 12

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 25)

[12 मई, 1997]

रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 1997 है ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए भारत की संचित निधि में से 4,50,22,44,03,000 रुपए का दिया जाना ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां जिनका कुल योग [जिसमें विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 1997 की अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां सम्मिलित हैं] चार खरब, पचास अरब, बाईस करोड़, चवालीस लाख, तीन हजार रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए दी और उपयोजित की जा सकेंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेल सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान दिए जाने होंगे ।

1997 का 9

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
1	रेल बोर्ड	36,04,58,000	—	36,04,58,000
2	प्रकीर्ण व्यय	1,69,39,82,000	—	1,69,39,82,000
3	रेलों पर साधारण अधीक्षण और सेवाएं	12,09,75,00,000	—	12,09,75,00,000
4	स्थायी पथ और संकर्मों की मरम्मत और अनुरक्षण	23,57,27,60,000	1,29,000	23,57,28,89,000
5	चालक शक्ति की मरम्मत और अनुरक्षण	13,36,91,10,000	4,00,000	13,36,95,10,000
6	सवारी डिब्बों और वैगनों की मरम्मत और अनुरक्षण	24,30,93,94,000	1,00,000	24,30,94,94,000
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	12,55,33,30,000	—	12,55,33,30,000
8	प्रचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	19,19,45,89,000	—	19,19,45,89,000
9	प्रचालन व्यय—यातायात	43,16,34,57,000	1,00,000	43,16,35,57,000
10	प्रचालन व्यय—ईंधन	44,68,14,66,000	—	44,68,14,66,000
11	कर्मचारिवृन्द कल्याण और सुख सुविधाएं	8,83,29,56,000	—	8,83,29,56,000
12	प्रकीर्ण कार्यकरण व्यय	10,96,54,29,000	14,31,75,000	11,10,86,04,000
13	भविष्य-निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे	25,13,03,99,000	73,44,000	25,13,77,43,000
14	निधियों में विनियोग	55,84,00,00,000	—	55,84,00,00,000
15	साधारण राजस्व को लाभांश, साधारण राजस्व से लिए गए उधार का प्रतिसंदाय और अति-पूंजीकरण का क्रमिक अपाकरण	16,29,72,00,000	—	16,29,72,00,000

1	2	3		
		रु०	रु०	रु०
16	आस्तियां—अर्जन, सन्निर्माण और प्रतिस्थापन—			
	राजस्व	45,00,00,000	—	45,00,00,000
	अन्य व्यय :			
	पूंजी	96,52,03,25,000	3,78,00,000	96,55,81,25,000
	रेल निधियां	40,95,58,00,000	4,72,00,000	41,00,30,00,000
	योग :	4,49,98,81,55,000	23,62,48,000	4,50,22,44,03,000

विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 27)

[14 मई, 1997]

वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1997 है ।

वर्ष 1997–98 के लिए भारत की संचित निधि में से 52,61,43, 67,00,000 रुपए का दिया जाना ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से, अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग [जिसमें विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1997 की अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां सम्मिलित हैं] बावन खरब, इकसठ अरब, तैंतालीस करोड़, सड़सठ लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए दी और उपयोजित की जा सकेंगी, जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 1997–98 के दौरान दिए जाने होंगे ।

1997 का 21

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएगी ।

अनुसूची में मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिदशों का अर्थान्वयन ।

4. अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश 14 फरवरी, 1997 के ठीक पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों के बारे में हैं और उस तारीख को या उसके पश्चात् उनका ऐसे अर्थ लगाया जाएगा कि वे समय-समय पर यथा पुनर्गठित समुचित मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश हैं ।

अनुसूची

(धारा 2, धारा 3 और धारा 4 देखिए)

1	2		3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रु०	रु०	रु०
1	कृषि	राजस्व	29,44 81,00,000	1,00,000	29,44,82,00,000
		पूंजी	19,54,00,000	43,25,00,000	62,79,00,000
2	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	राजस्व	2,81,68,00,000	—	2,81,68,00,000
		पूंजी	2,35,05,00,000	65,12,00,000	3,00,17,00,000
3	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व	5,99,27,00,000	—	5,99,27,00,000
4	पशुपालन और डेरी विभाग	राजस्व	2,58,34,00,000	—	2,58,34,00,000
		पूंजी	1,85,00,000	—	1,85,00,000
5	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	राजस्व	2,30,64,00,000	25,00,00,000	2,55,64,00,000
		पूंजी	42,55,00,000	—	42,55,00,000
6	उर्वरक विभाग	राजस्व	81,22,90,00,000	1,00,000	81,22,91,00,000
		पूंजी	6,45,84,00,000	—	6,45,84,00,000
7	नागर विमानन विभाग	राजस्व	90,48,00,000	—	90,48,00,000
		पूंजी	41,16,00,000	—	41,16,00,000
8	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,07,76,00,000	—	1,07,76,00,000
		पूंजी	19,85,00,000	—	19,85,00,000
9	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	राजस्व	78,28,00,000	—	78,28,00,000
		पूंजी	48,00,000	11,25,00,000	11,73,00,000
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व	1,70,78,00,000	—	1,70,78,00,000
		पूंजी	3,24,85,00,000	—	3,24,85,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व	8,02,27,00,000	—	8,02,27,00,000
		पूंजी	1,07,00,00,000	—	1,07,00,00,000
12	आपूर्ति विभाग	राजस्व	38,02,00,000	70,00,000	38,72,00,000
13	डाक विभाग	राजस्व	31,38,68,00,000	31,00,000	31,38,99,00,000
		पूंजी	74,34,00,000	17,00,000	74,51,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
14	दूर-संचार विभाग	राजस्व	1,50,28,94,00,000	5,00,000	1,50,28,99,00,000
		पूंजी	1,09,88,39,00,000	1,00,000	1,09,89,00,00,000
15	रक्षा मंत्रालय	राजस्व	23,82,53,00,000	13,00,000	23,82,66,00,000
		पूंजी	24,77,00,000	2,57,00,000	27,34,00,000
16	रक्षा पेंशन	राजस्व	37,14,61,00,000	39,00,000	37,15,00,00,000
17	रक्षा सेवाएं—सेना	राजस्व	1,95,04,15,00,000	10,30,00,000	1,95,14,45,00,000
18	रक्षा सेवाएं —नौसेना	राजस्व	22,98,55,00,000	2,60,00,000	23,01,15,00,000
19	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	राजस्व	49,78,33,00,000	67,00,000	49,79,00,00,000
20	रक्षा आर्डनेंस कारखाने	राजस्व	9,62,21,00,000	45,00,000	9,62,66,00,000
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	पूंजी	89,00,64,00,000	6,36,00,000	89,07,00,00,000
22	पर्यावरण और वन मंत्रालय	राजस्व	6,30,77,00,000	—	6,30,77,00,000
		पूंजी	7,25,00,000	—	7,25,00,000
23	विदेश मंत्रालय	राजस्व	13,33,38,00,000	2,00,000	13,33,40,00,000
		पूंजी	1,80,02,00,000	—	1,80,02,00,000
24	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	41,77,50,00,000	5,00,000	41,77,55,00,000
		पूंजी	1,25,32,00,000	—	1,25,32,00,000
25	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टॉप	राजस्व	7,81,24,00,000	1,69,00,000	7,82,93,00,000
		पूंजी	5,65,31,00,000	2,00,000	5,65,33,00,000
26	वित्तीय संस्थाओं को संदाय	राजस्व	4,22,48,00,000	—	4,22,48,00,000
		पूंजी	11,84,59,00,000	—	11,84,59,00,000
	भारित—ब्याज अदायगियां	राजस्व	—	6,80,00,00,00,000	6,80,00,00,00,000
28	राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण	राजस्व	1,09,83,07,00,000	2,85,96,82,00,000	3,95,79,89,00,000
		पूंजी	10,25,00,00,000	2,36,22,36,00,000	2,46,47,36,00,000
29	सरकारी सेवकों को उधार, आदि	पूंजी	2,98,65,00,000	—	2,98,65,00,000
	भारित—ऋण का प्रतिसंदाय	पूंजी	—	22,72,28,73,00,000	22,72,28,73,00,000
31	व्यय विभाग	राजस्व	47,18,29,00,000	—	47,18,29,00,000
32	पेंशन	राजस्व	15,46,71,00,000	3,29,00,000	15,50,00,00,000
33	संपरीक्षा	राजस्व	5,10,73,00,000	17,52,00,000	5,28,25,00,000
		पूंजी	3,48,00,000	—	3,48,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
34	राजस्व विभाग	राजस्व	1,86,06,00,000	2,00,000	1,86,08,00,000
		पूंजी	1,25,00,000	—	1,25,00,000
35	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	5,06,98,00,000	2,00,000	5,07,00,00,000
		पूंजी	1,26,00,00,000	—	1,26,00,00,000
36	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	7,96,06,00,000	1,00,00,000	7,97,06,00,000
		पूंजी	2,65,20,00,000	—	2,65,20,00,000
37	कम्पनी कार्य विभाग	राजस्व	17,99,00,000	—	17,99,00,000
		पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
38	खाद्य मंत्रालय	राजस्व	77,33,59,00,000	5,00,000	77,33,64,00,000
		पूंजी	1,12,24,00,000	—	1,12,24,00,000
39	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	48,72,00,000	—	48,72,00,000
		पूंजी	17,70,00,000	—	17,70,00,000
40	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	14,36,56,00,000	—	14,36,56,00,000
		पूंजी	5,04,44,00,000	—	5,04,44,00,000
41	भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग	राजस्व	56,79,00,000	—	56,79,00,000
		पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
42	परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	22,08,01,00,000	—	22,08,01,00,000
		पूंजी	1,60,00,000	—	1,60,00,000
43	गृह मंत्रालय	राजस्व	3,11,73,00,000	11,00,000	3,11,84,00,000
		पूंजी	22,10,00,000	—	22,10,00,000
44	मंत्रिमंडल	राजस्व	97,53,00,000	—	97,53,00,000
		पूंजी	30,00,00,000	—	30,00,00,000
45	पुलिस	राजस्व	40,10,21,00,000	1,43,00,000	40,11,64,00,000
		पूंजी	4,66,10,00,000	46,65,00,000	5,12,75,00,000
46	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	राजस्व	3,50,78,00,000	2,00,000	3,50,80,00,000
		पूंजी	1,84,09,00,000	5,06,00,000	1,89,15,00,000
47	संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण	राजस्व	2,50,81,00,000	—	2,50,81,00,000
		पूंजी	2,58,84,00,000	—	2,58,84,00,000
48	शिक्षा विभाग	राजस्व	52,30,82,00,000	—	52,30,82,00,000
		पूंजी	81,00,000	—	81,00,000
49	युवा मामले और खेल विभाग	राजस्व	1,57,48,00,000	—	1,57,48,00,000
		पूंजी	1,85,00,000	—	1,85,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
50	संस्कृति विभाग	राजस्व	2,47,90,00,000	—	2,47,90,00,000
51	महिला और बाल विकास विभाग	राजस्व	9,48,10,00,000	—	9,48,10,00,000
52	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व	6,88,36,00,000	—	6,88,36,00,000
		पूंजी	37,00,000	—	37,00,000
53	लोक उद्यम विभाग	राजस्व	5,08,00,000	—	5,08,00,000
54	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	22,38,00,000	—	22,38,00,000
		पूंजी	2,19,14,00,000	—	2,19,14,00,000
55	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	राजस्व	7,10,77,00,000	—	7,10,77,00,000
		पूंजी	2,90,75,00,000	—	2,90,75,00,000
56	सूचना, फिल्म और प्रचार	राजस्व	1,63,04,00,000	2,00,000	1,63,06,00,000
		पूंजी	17,93,00,000	—	17,93,00,000
57	प्रसारण सेवाएं	राजस्व	15,97,86,00,000	4,15,00,000	16,02,01,00,000
		पूंजी	4,34,20,00,000	85,00,000	4,35,05,00,000
58	श्रम मंत्रालय	राजस्व	7,43,44,00,000	1,00,000	7,43,45,00,000
		पूंजी	1,19.00,000	—	1,19,00,000
59	विधि और न्याय	राजस्व	3,68,22,00,000	—	3,68,22,00,000
60	निर्वाचन आयोग	राजस्व	5,83,00,000	—	5,83,00,000
	भारित—भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	—	16,11,00,000	16,11,00,000
62	खान मंत्रालय	राजस्व	2,40,98,00,000	5,00,000	2,41,03,00,000
		पूंजी	41,00,00,000	—	41,00,00,000
63	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	राजस्व	2,27,15,00,000	—	2,27,15,00,000
		पूंजी	1,14,73,00,000	—	1,14,73,00,000
64	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	3,42,00,000	—	3,42,00,000
65	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	1,25,67,00,000	5,00,000	1,25,72,00,000
		पूंजी	2,60,00,000	6,00,00,000	8,60,00,000
66	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	3,86,00,000		3,86,00,000
67	योजना	राजस्व	1,02,85,00,000	—	1,02,85,00,000
		पूंजी	46,05,00,000	—	46,05,00,000
68	सांख्यिकी विभाग	राजस्व	1,36,67,00,000	—	1,36,67,00,000
		पूंजी	8,74,00,000	—	8,74,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
69	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	राजस्व	7,91,70,00,000	—	7,91,70,00,000
70	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	5,29,80,00,000	—	5,29,80,00,000
		पूंजी	27,15,53,00,000	1,70,00,000	27,17,23,00,000
71	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	22,16,19,00,000	—	22,16,19,00,000
72	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	राजस्व	68,07,09,00,000	—	68,07,09,00,000
73	बंजर भूमि विकास विभाग	राजस्व	95,20,00,000	—	95,20,00,000
74	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	5,13,84,00,000	1,00,000	5,13,85,00,000
		पूंजी	49,02,00,000	—	49,02,00,000
75	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व	5,07,99,00,000	—	5,07,99,00,000
		पूंजी	5,50,00,000	—	5,50,00,000
76	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,08,56,00,000	—	1,08,56,00,000
		पूंजी	5,31,00,000	—	5,31,00,000
77	इस्पात मंत्रालय	राजस्व	7,06,00,000	—	7,06,00,000
		पूंजी	25,70,00,000	—	25,70,00,000
78	जल भूतल परिवहन	राजस्व	74,05,00,000	—	74,05,00,000
		पूंजी	21,64,00,000	1,50,00,000	23,14,00,000
79	सड़कें	राजस्व	8,53,19,00 000	40,00,000	8,53,59,00,000
		पूंजी	21,05 86,00,000	29,57,00,000	21,35,43,00,000
80	पत्तन, प्रकाश स्तंभ और पोत परिवहन	राजस्व	2,33,22,00,000	—	2,33,22,00,000
		पूंजी	4,31,52,00,000	2,00,00,000	4,33,52,00,000
81	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	4,40,26,00,000	—	4,40,26,00,000
		पूंजी	3,05,78,00,000	6,00,00,000	3,11,78,00,000
82	शहरी विकास	राजस्व	3,52,47,00,000	9,85,00,000	3,62,32,00,000
		पूंजी	3,98,56,00,000	10,13,00,000	4,08,69,00,000
83	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	राजस्व	2,19,41,00,000	—	2,19,41,00,000
		पूंजी	40,00,00,000	—	40,00,00,000
84	लोक निर्माण	राजस्व	4,64,50,00,000	60,00,000	4,65,10,00,000
		पूंजी	2,13,98,00,000	—	2,13,98,00,000
85	लेखन सामग्री और मुद्रण	राजस्व	1,43,42,00,000	—	1,43,42,00,000
		पूंजी	4,50,00,000	—	4,50,00,000
86	जल संसाधन मंत्रालय	राजस्व	4,49,06,00,000	2,00,000	4,49,08,00,000
		पूंजी	34,08,00,000	13,03,20,00,000	13,37,28,00,000
87	कल्याण मंत्रालय	राजस्व	10,94,29,00,000	4,52,49,00,000	15,46,78,00,000
		पूंजी	2,93,42,00,000	—	2,93,42,00,000
88	परमाणु ऊर्जा	राजस्व	7,67,17,00,000	13,00,000	7,67,30,00,000
		पूंजी	6,50,43,00,000	—	6,50,43,00,000

1	2		3		
			रु०	रु०	रु०
89	न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	राजस्व	7,71,89,00,000	—	7,71,89,00,000
		पूंजी	3,51,20,00,000	—	3,51,20,00,000
90	इलैक्ट्रानिकी विभाग	राजस्व	1,23,60,00,000	—	1,23,60,00,000
		पूंजी	32,45,00,000	—	32,45,00,000
91	महासागर विकास विभाग	राजस्व	1,00,20,00,000	—	1,00,20,00,000
		पूंजी	5,75,00,000	—	5,75,00,000
92	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	10,26,24,00,000	25,00,000	10,26,49,00,000
		पूंजी	1,44,54,00,000	7,00,000	1,44,61,00,000
	भारित—राष्ट्रपति के कर्मचारिवृन्द, गृह और भत्ते	राजस्व	—	5,62,00,000	5,62,00,000
94	राज्य सभा	राजस्व	22,94,00,000	8,00,000	23,02,00,000
95	लोक सभा	राजस्व	53,23,00,000	18,00,000	53,41,00,000
	भारित—संघ लोक सेवा आयोग	राजस्व	—	26,74,00,000	26,74,00,000
97	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	राजस्व	51,00,000	—	51,00,000
98	अंडमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	3,70,33,00,000	1,00,000	3,70,34,00,000
		पूंजी	1,87,10,00,000	—	1,87,10,00,000
99	चंडीगढ़	राजस्व	3,86,21,00,000	11,84,00,000	3,98,05,00,000
		पूंजी	64,25,00,000	1,00,00,000	65,25,00,000
100	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	1,14,08,00,000	—	1,14,08,00,000
		पूंजी	23,53,00,000	—	23,53,00,000
101	दमण और दीव	राजस्व	85,82,00,000	—	85,82,00,000
		पूंजी	16,46,00,000	—	16,46,00,000
102	लक्षद्वीप	राजस्व	1,27,40,00,000	15,00,000	1,27,55,00,000
		पूंजी	17,08,00,000	—	17,08,00,000
	योग :		17,65,58,68,00,000	34,95,84,99,00,000	52,61,43,67,00,000

धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 29)

[28 मई, 1997]

धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन अधिनियम, 1997 है ।

1958 के अधिनियम संख्यांक 21 का निरसन ।

2. धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम 1958 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 28)

[28 मई, 1997]

नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

1966 का 4 2. नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (ठ) में "मास्टर नौ-परिवाहक आफिसर या अभियांत्रिक आफिसर, रेडियो आफिसर, चिकित्सा आफिसर, कल्याण आफिसर, पोतनोस, विद्युत मंत्री, परिचारिका, संगीतज्ञ, पाइलट, शिशु या डेक नापित" शब्दों के स्थान पर "कल्याण आफिसर, परिचारिका, संगीतज्ञ, पाइलट या डेक नापित" शब्द रखे जाएंगे । धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) में, "भारत के स्टेट बैंक" शब्दों के स्थान पर "अनुमोदित बैंक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा में "अनुमोदित बैंक", से भारतीय स्टेट
1955 का 23 बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट
1959 का 38 बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक, या
1970 का 5 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक या बैंककारी
1980 का 40 कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में,— धारा 7 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, "और अन्य आफिसर नियुक्त कर सकेगी जितने सरकार आवश्यक समझे और जिनका अधिकतम मासिक संबलम् छह सौ रुपए से कम न हो" शब्दों के स्थान पर "नियुक्त कर सकेगी, जितने सरकार आवश्यक समझे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, "या किसी अन्य पद पर जिसका अधिकतम मासिक संबलम् छह सौ रुपए से कम न हो" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 8 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, "तथा तत्पश्चात् आठ प्रतिशत की दर से" शब्दों के स्थान पर, "अप्रैल, 1968 के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली और दिसम्बर, 1977 के 31 वें दिन को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए आठ प्रतिशत की दर से और तत्पश्चात् दस प्रतिशत की दर से या ऐसी उच्चतर दर से जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए," शब्द और अंक रखे जाएं ।

धारा 15 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध उपधारा (2) के अधीन की किसी तलाशी या अभिग्रहण को, यथाशक्य, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।" । 1974 का 2

धारा 16 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में "छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 30)

[28 मई, 1997]

सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपतियों को पेंशन और अन्य प्रसुविधाओं के संदाय का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 है।

सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपतियों को पेंशन।

2. (1) प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने या अपना पद त्याग कर देने के कारण उपराष्ट्रपति के रूप में पद पर नहीं रह जाता है, उसके शेष जीवनकाल में छह हजार दो सौ पचास रुपए प्रतिमास पेंशन दी जाएगी :

परन्तु ऐसा व्यक्ति उस अवधि के दौरान, जब वह प्रधान मंत्री का पद, किसी मंत्री का पद या कोई अन्य पद धारण करता है या संसद् सदस्य हो जाता है और ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करता है, जो भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि में से चुकाए जाते हैं, कोई पेंशन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अपने शेष जीवनकाल में,—

(क) किराए के संदाय के बिना ऐसे सुसज्जित निवास का उपयोग करने का (जिसके अन्तर्गत उसका रखरखाव भी है) जैसा कि संघ का उपमंत्री अपनी पदावधि के दौरान, मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित 1952 का 58 अधिनियम, 1952 के अधीन हकदार है।

(ख) अपने निवास पर वैसी ही टेलीफोन सुविधा का उपयोग करने का, जैसी संसद्-सदस्य, संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का 30 1954 के उपबंधों के अधीन हकदार है ;

(ग) सचिवीय कर्मचारिवृन्द तथा कार्यालय व्ययों का जो कुल मिलाकर छह हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होंगे ;

(घ) चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की बाबत स्वयं के लिए वैसी ही प्रसुविधाओं का और उन्हीं शर्तों पर, जिन पर सेवानिवृत्त राष्ट्रपति 1951 का 30 राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन हकदार है ;

(ङ) चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की बाबत अपने पति/अपनी पत्नी और अवयस्क बालकों के लिए उन्हीं प्रसुविधाओं का और उन्हीं शर्तों पर जिन पर सेवानिवृत्त राष्ट्रपति की पत्नी/उसके पति, राष्ट्रपति, 1951 का 30 उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन हकदार है ; और

(च) भारत में कहीं भी, अपने पति/पत्नी के साथ वायुयान द्वारा प्रशासनिक श्रेणी द्वारा या रेल द्वारा उच्चतम श्रेणी में, यात्रा करने का, हकदार होगा ।

मृत उपराष्ट्रपति के कुटुम्ब को चिकित्सीय प्रसुविधाएं ।

3. ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उपराष्ट्रपति का पद धारण किए हुए है, मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी या पति अपने शेष जीवनकाल में मुफ्त चिकित्सीय परिचर्या और उपचार का हकदार होगा ।

पेंशन का भारत की संचित निधि पर भारित होना ।

4. इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई राशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (महापत्तनों को लागू न होना) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 31)

[18 अगस्त, 1997]

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के महापत्तन प्रयासों के डॉक कर्मकारों को लागू न होने का और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (महापत्तनों को लागू न होना) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी महापत्तन के संबंध में "नियत दिन" से उस महापत्तन के लिए धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में है : 1963 का 38

(ग) "डॉक श्रम बोर्ड" से डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5क के अधीन स्थापित डॉक श्रम बोर्ड अभिप्रेत है ; 1948 का 9

(घ) "महापत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 में है । 1908 का 15

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के उपबंधों का महापत्तनों को लागू न होना ।

3. केन्द्रीय सरकार, किसी महापत्तन के डाक श्रम बोर्ड और उसके कर्मकारों और उस महापत्तन के प्रबंध मंडल के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार समझौता हो जाने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के उपबंध उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से उस महापत्तन के संबंध में प्रभावहीन हो जाएंगे । 1947 का 14 1948 का 9

डॉक श्रम बोर्ड आदि की आस्तियों और दायित्वों का बोर्ड को अंतरण ।

4. (1) किसी महापत्तन के संबंध में नियत दिन को:—

(क) ऐसे दिन के ठीक पूर्व डॉक श्रम बोर्ड में निहित सभी संपत्ति, आस्तियां और निधियां बोर्ड में निहित हो जाएंगी ;

(ख) डॉक श्रम बोर्ड के लिए या उसके प्रयोजनों के संबंध में ऐसे दिन के ठीक पूर्व डॉक श्रम बोर्ड द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें बोर्ड, द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएगी ;

(ग) ऐसे दिन के ठीक पूर्व डॉक श्रम बोर्ड को देय सभी धनराशियां बोर्ड को देय समझी जाएगी ;

(घ) डॉक श्रम बोर्ड के संबंध में किसी मामले के लिए, ऐसे दिन के ठीक पूव , डॉक श्रम बोड द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए गए सभी वाद और अन्य विधिक कायवाहियां बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेंगी ;

(ङ) डॉक श्रम बोर्ड के अधीन सेवारत प्रत्येक कर्मचारी और कर्मकार बोड के अधीन पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेगा, जो किसी भी प्रकार से उनसे कम अनुकूल नहीं है, जो उसे ग्राह्य होती यदि उसकी सेवाओं का बोड को अंतरण नहीं होता, और तब तक यह ऐसा करता रहेगा जब तक बोड में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी पदावधि, पारिश्रमिक या सेवा के निबंधनों और शर्तों में बोड द्वारा सम्यक् रूप से परिवतन नहीं कर दिया जाता है ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कमचारी की सेवाओं का बोड को अंतरण ऐसे कमचारी को उस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और कोई ऐसा दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा । 1947 का 14

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्यांक 32)

[29 अगस्त, 1997]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

1985 का 50

2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 की उपधारा (2) के अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु विश्वविद्यालय, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, भारत के बाहर भी अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा ।" ।

धारा 6 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में, "अधिकारिता संपूर्ण भारत पर होगी" शब्दों के स्थान पर "अधिकारिता संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर के अध्ययन केन्द्रों पर होगी" शब्द रखे जाएंगे ।

रघवीर सिंह
सचिव, भारत सरकार ।